सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

YEARS OF
CELEBRATING
THE MAHATMA

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की

प्रमुख योजनाएं

e-connection

- छात्रवृत्ति योजना - scholarship.rajasthan.gov.in
- पालनहार योजना - palanhaar.rajasthan.gov.in
- सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना - rajssp.raj.nic.in
- छात्रावास प्रवेश - sjms.rajasthan.gov.in
- आवासीय विद्यालय प्रवेश - sjms.rajasthan.gov.in
- सहयोग एवं उपहार योजना - sjms.rajasthan.gov.in
- अनुप्रति योजना - sjms.rajasthan.gov.in
- अन्तर्जातीय विवाह - sjms.rajasthan.gov.in
- अत्याचार निवारण - sjms.rajasthan.gov.in
- विभागीय वेबसाइट - sje.rajasthan.gov.in
- विभागीय ई–मेल - raj.sje@rajasthan.gov.in

अशोक गहलोत

मुख्य मंत्री
राजस्थान

मुझे यह जानकर प्रसन्नता है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर द्वारा राजस्थान सरकार की समाज के पिछड़े, दलित, वंचित एवं विभिन्न वर्गों के गरीब व्यक्तियों के लिए संचालित योजनाओं की जानकारी कराने के लिए पुस्तिका का प्रकाशन किया जा रहा है।

राज्य सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, महिलाएं, वृद्धजन, दिव्यांग, विद्यार्थी, असहाय एवं विमंदित बच्चों आदि के कल्याण के प्रति सदैव संकल्पबद्ध है। इन वर्गों के कल्याण के लिए संचालित योजनाओं की जानकारी जन–जन तक पहुंचाने की दृष्टि से ऐसे प्रकाशन अपने आप में महत्वपूर्ण हैं।

आशा है पुस्तिका की सामग्री राज्य के इन समुदायों के जरूरतमंद लोगों को जागरूक बनाने और उनके कल्याणार्थ संचालित योजनाओं का अधिकाधिक लाभ उठाने की दृष्टि से सहायक होगी।

मैं विभाग के इस प्रकाशन की सफलता के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।

(अशोक गहलोत)

मंत्री
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग
राजस्थान सरकार

मा. भँवरलाल मेघवाल

मुझे यह जानकर हार्दिक प्रसन्नता हो रही है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जनकल्याणकारी योजनाओं पर केन्द्रित पुस्तक का प्रकाशन कराया जा रहा है।

विभाग द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, महिलाएं, अति पिछड़ा वर्ग, वृद्धजन, दिव्यांग जन, विद्यार्थी वर्ग, अनाथ बच्चे, विमंदित जन इत्यादि के कल्याण को ध्यान में रखते हुए विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जा रहा है।

नवीन प्रौद्योगिकी और बदलते समय को ध्यान में रखते हुए विभागीय वेबसाईट पर योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराई जाती है, फिर भी समाज का एक वर्ग ऐसा है जिसको ऑनलाईन सुविधा सहज सुलभ नहीं है, इस हेतु पुस्तक के प्रकाशन से विभागीय योजनाओं की जानकारी सुदूर गांवों तक जनप्रतिनिधियों के माध्यम से पहुंचायी जा सकती है। साथ ही विभिन्न आयु वर्ग के लोगों के लिए समग्र जानकारी उपलब्ध होने से राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप जरूरतमंद लोगों को जागरूक किया जाना संभव होगा।

मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि यह पुस्तिका इस उद्देश्य को पूरा करेगी। मैं इस पुस्तिका के सफल प्रकाशन की कामना करता हूँ।

(मा. भँवरलाल मेघवाल)

राज्य मंत्री सामाजिक न्याय एवं
अधिकारिता विभाग, राजस्थान

राजेन्द्र सिंह यादव

मुझे यह जानकर हार्दिक प्रसन्नता है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जनकल्याणकारी योजननाओं पर लघु पुस्तक का प्रकाशन कराया जा रहा है।

विभाग द्वारा समाज के विभिन्न वर्गो के कल्याण को ध्यान में रखते हुए अनेक महत्वपूर्ण योजनाओं का संचालन किया जा रहा है।

योजनाओं से संबंधित पुस्तक के प्रकाशन से आमजन को योजनाओं की बेहतर जानकारी प्राप्त हो सकेगी।

पुस्तक के प्रकाशन के लिए हार्दिक शुभेच्छा।

(राजेन्द्र सिंह यादव)

अखिल अरोरा
आई.ए.एस

प्रमुख शासन सचिव
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग,
राजस्थान

यह हर्ष का विषय है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा जनकल्याणकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों की जानकारी पर केन्द्रित लघु पुस्तिका का प्रकाशन किया जा रहा है।

पुस्तिका का उद्देश्य इकजाई रूप में विभागीय योजनाओं की सूचना जनसाधारण को उपलब्ध कराना है। चूंकि विभाग द्वारा समाज के विभिन्न आर्थिक–सामाजिक वर्गों के लिए आयु–अवस्था एवं लिंग आधारित घटक को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं। अतः एक समग्र स्वरूप वाली पुस्तक, लक्षित समूह के ऐसे परिवारों के लिए सुविधाजनक हो सकती है जहां विभिन्न श्रेणियों के आशार्थी होते हैं।

साथ ही जनप्रतिनिधियों के लिए भी यह पुस्तक उपयोगी होगी, कि वे अपने क्षेत्र के लोगों तक योजनाओं की पात्रता एवं लाभ सम्बन्धी सूचना संकलित रूप में प्रेषित करवा सकेंगे। पुस्तक का स्वरूप इसी बिन्दु को ध्यान में रखते हुये छोटा रखा गया है।

मैं प्रकाशन की सफलता के लिए शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं।

(अखिल अरोरा)

निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
राजस्थान

साँवर मल वर्मा
आई.ए.एस

मुझे यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित जनोपयोगी योजनाओं सम्बन्धी सूचना पर आधारित पुस्तक का प्रकाशन किया जा रहा है।

यह पुस्तक, लघु स्वरूप में विभागीय योजनाओं की सामग्री को बिन्दुवार संकलित करते हुए तैयार की गई है। इसमें योजना के लिए पात्रता–लाभ–आवेदन इत्यादि की जानकारी को संक्षिप्त और सरल रूप में प्रस्तुत किया गया है। पुस्तक में सभी वर्गों की पृथक्–पृथक् श्रेणी यथा बालक–महिला–छात्र–वृद्ध–दिव्यांग इत्यादि के आधार पर सूचना प्रस्तुत की गई है ताकि पढ़ने और समझने में सुविधाजनक रहे।

निदेशाालय एवं जिला स्तरीय कार्यालयों पर पुस्तक निःशुल्क वितरण हेतु उपलब्ध होगी ताकि जनसाधारण इसका अधिकाधिक लाभ उठा सकें।

(सांवर मल वर्मा)

अनुक्रमणिका

1. सामाजिक सुरक्षा	
वृद्धावस्था, विधवा/परित्यक्ता एवं विशेष योग्यजन पेंशन	01
इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	01
इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	01
इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना	02
मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना	03
मुख्यमंत्री एकलनारी सम्मान पेंशन योजना	03
मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना	04
पन्नाधाय जीवन अमृत योजना (आम आदमी बीमा योजना)	05
राजस्थान सामाजिक सुरक्षा लघु एवं सीमान्त वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन योजना	07
2. शैक्षणिक उत्थान	
उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना	10
उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति–अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति	10
उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति–अन्य पिछड़ा वर्ग	11
डॉ. अम्बेडकर आर्थिक पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना	12
डॉ. अम्बेडकर विमुक्त, घुमन्तु तथा अर्द्ध–घुमन्तु (DNTs) उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना	13
मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना	14
केन्द्रीय प्रवर्तित बुक बैंक योजना	16
छात्रावास योजना	16
आवासीय विद्यालय योजना	19
मुख्यमंत्री निःशुल्क कोचिंग योजना	22
अनुप्रति योजना	22

अनुक्रमणिका

3. महिला एवं बाल कल्याण	
विधवा पुनर्विवाह उपहार योजना	26
सहयोग एवं उपहार योजना	26
राज्य महिला सदन / नारी निकेतन	27
उज्ज्वला योजना	28
स्वाधार गृह योजना	29
दहेज निषेध को प्रोत्साहन एवं प्रचार–प्रसार	31
पालनहार योजना	31
4. वृद्ध कल्याण	
भक्त श्रवण कुमार कल्याण सेवा आश्रम नियम, 2004	35
जिला एवं तहसील मुख्यालय पर वृद्धाश्रम	35
राजस्थान राज्य वरिष्ठ नागरिक कल्याण बोर्ड	36
राज्य वृद्धजन नीति	36
चिरायु योजना – 2008	36
5. आर्थिक उत्थान	
अनुसुचित जाति उपयोजना	38
हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013	40
गाड़िया लोहारों को भवन निर्माण हेतु अनुदान सहायता योजना	42
गाड़िया लोहारों को कच्चा माल क्रय हेतु अनुदान सहायता योजना	42

अनुक्रमणिका

6. सामाजिक उत्थान एवं संरक्षण	
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 यथा संशोधित 2015 का क्रियान्वयन	44
अत्याचारों से पीड़ित अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों को आर्थिक सहायता	45
टेलीफोन हैल्पलाइन की स्थापना	45
केश कला बोर्ड	45
डॉ. सविता बेन अम्बेडकर अन्तर्जातीय विवाह	46
राजस्थान राज्य विमुक्त घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु कल्याण बोर्ड	46
राजस्थान राज्य पशुपालक कल्याण बोर्ड	47
राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग	47
अम्बेडकर पुरस्कार योजना	48
अन्त्येष्टि अनुदान योजना	49
7. देवनारायण योजना	
देवनारायण योजनान्तर्गत उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना	51
देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना	57
देवनारायण गुरूकुल योजना	58
पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना	59
अनुप्रति योजना	61
8. समाज संरक्षा की अन्य योजनाएं	
नशामुक्ति कार्यक्रम	70

अनुक्रमणिका

नवजीवन योजना	70
परिवीक्षा सेवायें	71
कारागृह कल्याण सेवायें	71
9. निदेशालय विशेष योग्यजन द्वारा संचालित योजनाएं एवं कार्यक्रम	73
10. बाल अधिकारिता विभाग	105
नीतियां	
अधिनियम	
योजनाएं	

सामाजिक सुरक्षा योजना

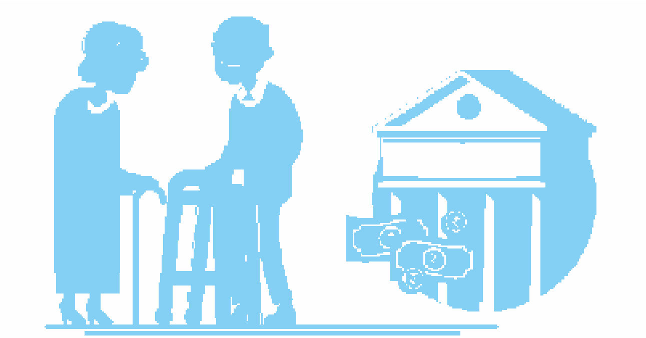

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएँ

वृद्धावस्था, विधवा/परित्यक्ता एवं विशेष योग्यजन पेंशन

राज्य में सामाजिक सुरक्षा वृद्धावस्था, विधवा, परित्यक्ता एवं तलाकशुदा पेंशन नियम 2013 (01.04.2013 से प्रभावी) के तहत वृद्धावस्था, विधवा, परित्यक्ता एवं तलाकशुदा पेंशन एवं राजस्थान सामाजिक सुरक्षा विशेष योग्यजन पेंशन नियम 2013 (01.04.2013 से प्रभावी) के तहत विशेष योग्यजन पेंशन दी जा रही है।

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना

केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन के स्थान पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना दिनांक 19.11.2007 से प्रारंभ की गई है। इस योजना के अन्तर्गत भारत सरकार के मापदण्डों के अनुरूप सूचीबद्ध बीपीएल परिवार के 60 वर्ष व अधिक आयु के व्यक्तियों को पेंशन देय है।

पेंशन दर :— 75 वर्ष से कम आयु के पेंशनर को रूपये 750/— प्रतिमाह एवं 75 वर्ष व अधिक आयु के पेंशनर को रूपये 1000/— प्रतिमाह पेंशन देय है। जिसमें 80 वर्ष से कम आयु के पेंशनर को रूपये 200/— प्रतिमाह एवं 80 वर्ष व अधिक आयु के पेंशनरों को 500 रूपए प्रतिमाह केन्द्रीयांश तथा शेष राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है।

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना

केन्द्रीय सरकार द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना माह फरवरी 2009 से प्रारम्भ की गई है। राजस्थान सरकार ने इस योजना को दिनांक 07.10.2009 से स्वीकृति दी है। इस योजना के अन्तर्गत भारत सरकार के मापदण्डों के अनुरूप सूचीबद्ध बी.पी.एल. परिवार की 40 वर्ष व अधिक आयु की विधवा महिलाएं पेंशन की पात्र हैं।

पेंशन दर :— 40 वर्ष व अधिक किन्तु 55 वर्ष से कम आयु के पेंशनर को रूपये

500/— प्रतिमाह एवं 55 वर्ष व अधिक किन्तु 60 वर्ष से कम आयु की पेंशनर को रूपये 750/— प्रतिमाह, 60 वर्ष व अधिक किन्तु 75 वर्ष से कम आयु की पेंशनर को रूपये 1000/— प्रतिमाह एवं 75 वर्ष व अधिक आयु की पेंशनर को रू. 1500/— प्रतिमाह पेंशन देय है। जिसमें 80 वर्ष से कम आयु की पेंशनर को रू. 300/— प्रतिमाह एवं 80 वर्ष व अधिक आयु की पेंशनर को रूपये 500/— प्रतिमाह केन्द्रीयांश तथा शेष राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है।

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना

केन्द्र सरकार द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशुक्त पेंशन योजना माह फरवरी 2009 से प्रारम्भ की गई है। राजस्थान सरकार ने इस योजना को दिनांक 24.11.2009 से स्वीकृति दी है। इस योजना के अन्तर्गत भारत सरकार के मापदण्डों के अनुरूप सूचीबद्ध बी.पी.एल. परिवार के वे व्यक्ति जो बहु निःशक्तता या गुरूत्तर निःशक्तता से ग्रसित हैं और जिनकी आयु 18 वर्ष व अधिक है, पेंशन के पात्र हैं।

इस योजना में पात्रता रखने वाले निःशक्त ''निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995'' में वर्णित निम्न श्रेणियों में आने वाले निःशक्तजनों को पात्र माना गया है।

(1) अंधता (2) कम दृष्टि (3) कुष्ठ रोग मुक्त (4) श्रवण शक्तिह्रास (5) चलन निःशक्तता (6) मानसिक मंदता (7) मानसिक रूग्णता एवं बौनेपन से ग्रसित

पेंशन दर :— 55 वर्ष से कम आयु की महिला एवं 58 वर्ष से कम आयु के पुरूष को रूपये 750/— प्रतिमाह एवं 55 वर्ष व अधिक की महिला एवं 58 वर्ष व अधिक के पुरूष पेंशनर किन्त 75 वर्ष से कम आयु के पेंशनर को रूपये 1000/— प्रतिमाह एवं 75 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनर को रूपये 1250/— प्रतिमाह तथा किसी भी आयु के कुष्ठ रोग मुक्त विशेष योग्यजन पेंशनर को रूपये 1500/— प्रतिमाह पेंशन देय है। जिसमें 80 वर्ष से कम आयु के पेंशनर को रू. 300/— प्रतिमाह एवं 80 वर्ष व अधिक आयु के पेंशनर को रूपये 500/— प्रतिमाह केन्द्रीयांश तथा शेष राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है।

मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना

55 वर्ष या इससे अधिक आयु की महिला तथा 58 वर्ष या इससे अधिक आयु का पुरूष जो राजस्थान का मूल निवासी हो तथा राजस्थान में रह रहा हो, एवं जिसके जीवन निर्वाह हेतु स्वयं एवं पत्नी/पति की नियमित आय का स्त्रोत नहीं हो, अथवा प्रार्थी एवं पत्नी/पति की समस्त स्त्रोतों से कुल वार्षिक आय रूपये 48000/– से कम हो, को पेंशन देय है। बी.पी.एल./अंत्योदय/ आस्थाकार्डधारी परिवार/सहरिया/कथौड़ी, खैरवा जाति के व्यक्तियों को आय संबंधी शर्त से छूट प्रदान की गई है।

पेंशन दर – 75 वर्ष से कम आयु के पेंशनर को रूपये 750/– प्रतिमाह एवं 75 वर्ष व अधिक आयु के पेंशनर को रूपये 1000/– प्रतिमाह पेंशन देय है, सम्पूर्ण राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है।

नोट : यदि प्रार्थी स्वयं या पति या पत्नी या पुत्र केन्द्र सरकार/अन्य राज्य सरकार/राज्य सरकार/ राजकीय उपक्रम में सेवारत हो या केन्द्र सरकार/अन्य राज्य सरकार/राज्य सरकार/राजकीय उपक्रम का पेंशनर हो, तो वह इन नियमों के अन्तर्गत पेंशन प्राप्त करने का पात्र नहीं होगा।

मुख्यमंत्री एकलनारी सम्मान पेंशन योजना

18 वर्ष या अधिक आयु की विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा महिला, जो राजस्थान की मूल निवासी हो तथा राजस्थान में रह रही हो, एवं जिसके जीवन निर्वाह हेतु स्वयं की नियमित आय का कोई स्त्रोत नहीं हो, अथवा प्रार्थी की समस्त स्त्रोतों से कुल वार्षिक आय रूपयं 48000/– से कम हो, को पेंशन देय है।

बी.पी.एल./अंत्योदय/आस्थाकार्डधारी परिवार/सहरिया/कथौड़ी/खैरवा जाति एवं एचआईवी एड्स पॉजिटिव हो तथा राजस्थान राज्य एड्स कंट्रोल सोसायटी में पंजीकृत है ऐसी विधवा/परित्यकता/तलाकशुदा महिलाओं को आय संबंधी शर्त में छूट प्रदान की गई है।

पेंशन दर :— 18 वर्ष व अधिक किन्तु 55 वर्ष से कम आयु की पेंशनर को रूपये 500/— प्रतिमाह, 55 वर्ष व अधिक किन्तु 60 वर्ष से कम आयु की पेंशनर को रूपये 750/— प्रतिमाह, 60 वर्ष व अधिक किन्तु 75 वर्ष से कम आयु की पेंशनर को रूपये 1000/— एवं 75 वर्ष व अधिक आयु की पेंशनर को रूपये 1500/— प्रतिमाह पेंशन देय है। सम्पूर्ण राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है।

नोट :— यदि प्रार्थी स्वयं या पति या पत्नि या पुत्र केन्द्र सरकार / अन्य राज्य सरकार / राज्य सरकार / राजकीय उपक्रम में सेवारत हो या केन्द्र सरकार / अन्य राज्य सरकार / राज्य सरकार / राजकीय उपक्रम में पेंशनर हो, तो वह इन नियमों के अन्तर्गत पेंशन प्राप्त करने की पात्र नहीं होगी।

मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना

किसी भी आयु का विशेष योग्यजन व्यक्ति जो अंधता, अल्पष्टि, चलन निःशक्तता, कुष्ठ रोग मुक्त, श्रवण शक्ति का ह्रास, मानसिक मंदता, मानसिक रोगी में से किसी एक अथवा अधिक विकलांगता (40 प्रतिशत एवं अधिक विकलांगता) से ग्रसित हो, प्राकृतिक रूप से बौनेपन (वयस्क व्यक्ति के मामलों में ऊँचाई 3 फीट 6 इंच से कम हो एवं प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी के द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र धारक हो) से ग्रसित हो तथा प्राकृतिक रूप से हिजड़ेपन से ग्रसित हो, जो रास्थान का मूल निवासी हो तथा राजस्थान में रह रहा हो, एवं जिसकी स्वयं की सम्मिलित वार्षिक आय (समस्त स्त्रोतों से) रूपये 60000/— तक हो, पेंशन का पात्र होगा।

बी.पी.एल./अन्त्योदय/आस्थाकार्डधारी परिवार/सहरिया/कथौड़ी खैरवा जाति के विशेष योग्यजन को आय संबंधी शर्त में छूट प्रदान की गई है।

पेंशन दर :— 55 वर्ष से कम आयु की महिला एवं 58 वर्ष से कम आयु के पुरूष पेंशन को रू. 750/— प्रतिमाह, 55 वर्ष व अधिक की महिला एवं 58 वर्ष व अधिक के पुरूष किन्तु 75 वर्ष से कम आयु के पेंशनर को रूपयं 1000/— प्रतिमाह एवं 75 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनर को रूपये 1250/— प्रतिमाह तथा किसी भी आयु के कुष्ठ रोग मुक्त विशेष योग्यजन पेंशनर को रूपये 1500/— प्रतिमाह पेंशन देय है। जिसमें 80 वर्ष से कम आयु के पेंशनर को रूपये 300/— प्रतिमाह एवं 80 वर्ष व

अधिक आयु के पेंशनर को रूपये 500/— प्रतिमाह केन्द्रीयांश तथा शेष राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है।

नोट :— यदि प्रार्थी स्वयं या पति या पत्नि या पुत्र केन्द्र सरकार/अन्य राज्य सरकार / राज्य सरकार /राज्य सरकार / राजकीय उपक्रम में सेवारत हो या केन्द्र सरकार / अन्य राज्य सरकार / राज्य सरकार / राजकीय उपक्रम का पेंशनर हो, तो वह इन नियमों के अन्तर्गत पेंशन प्राप्त करने की पात्र नहीं होगा।

पन्नाधाय जीवन अमृत योजना

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के अन्तर्गत संचालित केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के स्थान पर केन्द्र सरकार के मापदण्डों के अनुरूप चयनित बी.पी.एल. परिवारों तथा आस्था कार्डधारी परिवारों को बीमा लाभ दिये जाने हेतु पन्नाधाय जीवन अमृत योजना (आम आदमी बीमा योजना) संचालित की जा रही थी। भारत सरकार के पत्र दिनांक 11.05.2017 एवं मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में 18 वर्ष से 50 वर्ष के आयुवर्ग के बीमा किये जाने वाले सदस्यों का प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अन्तर्गत एवं 51 वर्ष से 59 वर्ष के आयुवर्ग के बीमा किये जाने वाले सदस्यों का पूर्व की भांति पन्नाधाय जीवन अमृत योजना (आम आदमी बीमा योजना) के तहत सम्मिलित किये जाने का निर्णय किया गया है।

	(अ) प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY)	(ब) प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY)	(स) पन्नाधाय जीवन अमृत योजना (आम आदमी बीमा योजना)
पात्रता	ग्रामीण क्षेत्र के बीपीएल सर्वे 2002 एवं शहरी क्षेत्र के बीपीएल सर्वे 2003 में चयनित बीपीएल परिवार तथा आस्थाकार्डधारी परिवार	ग्रामीण क्षेत्र के बीपीएल सर्वे 2002 एवं शहरी क्षेत्र के बीपीएल सर्वे 2003 में चयनित बीपीएल परिवार तथा आस्था कार्डधारी परिवार	ग्रामीण क्षेत्र के बीपीएल सर्वे 2002 एवं शहरी क्षेत्र के बीपीएल सर्वे 2003 में चयनित बीपीएल परिवार तथा आस्था कार्डधारी परिवार
आयु (Age)	18—50 वर्ष	18—50 एवं 51 से 59 वर्ष	51 से 59 वर्ष
प्रीमियम	330/— रूपये प्रतिवर्ष	12/— रूपये प्रतिवर्ष	200/— रूपये प्रतिवर्ष
हित लाभ	किसी भी बीमित सदस्य की मृत्यु होने पर — 2 लाख रूपये	क. दुर्घटनावश मृत्यु — 2 लाख रूपये	(अ) सामान्य मृत्यु होने की दशा में — 30000/— रूपये
		ख. दोनों आंखों की कुल तथा अपूर्णनीय क्षति या दानों हाथों अथवा दोनों पैरों का काम करने में अक्षम होना या एक आंख की नजर खो जाना और एक हाथ अथवा एक पैर का काम करने में अक्षम होना। — 2 लाख रूपये	(ब) दुर्घटना में (क) मृत्यु होने पर — 75000/— रूपये
			(ख) स्थायी पूर्ण शारीरिक अपंगता होने पर — 75000/— रूपये
			(ग) 2 आंखे या 2 हाथ/पैर या (Limb) एक आंख व एक हाथ/पैर (Limb) की क्षति होने पर — 75000/— रूपये
		ग. एक आंख की नजर की कुल तथा अपूर्णनीय क्षति या एक हाथ अथवा एक पैर का काम करने में अक्षम होना	(घ) एक आंख या एक हाथ/पैर (Limb) की क्षति होने पर — 37500/— रूपये

नोट :— 18 वर्ष से 50 वर्ष आयुवर्ग के बीमित सदस्यों को उपरोक्त सारणी के ''अ'' एवं ''ब'' के अनुसार तथा 51 वर्षो से 59 वर्ष आयुवर्ग के बीमित सदस्यों हेतु ''ब'' एवं ''स'' के अनुसार मृत्यु/दुर्घटना बीमा लाभ देय होंगे।

राजस्थान सामाजिक सुरक्षा लघु एवं सीमान्त वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन योजना

1. माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान ने घोषणा की थी कि प्रदेश के लघु एवं सीमान्त वृद्ध किसानों को भी वृद्धावस्था पेंशन योजना में सम्मिलित किया जायेगा। घोषणा के क्रम में राज्य सरकार ने राजस्थान सामाजिक सुरक्षा लघु एवं सीमान्त वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन नियम– 2019 को दिनांक 23.02.2019 को जारी किये गये हैं, जो दिनांक 01.03.2019 से प्रभावी हैं।

2. लघु एवं सीमान्त श्रेणी के परिवारों के 55 वर्ष एवं इससे अधिक आयु की महिला तथा 58 वर्ष या इससे अधिक आयु के पुरूष, जो राजस्थान का मूल निवासी हो तथा राजस्थान में रह रहा हो।

3. लघु कृषक से अभिप्रेत है कि राजस्थान के ऐसे कृषक परिवारों के सदस्य, जो राज्य में प्रभावी एवं प्रचलित विधिक परिभाषा के अनुसार लघु कृषक की श्रेणी में हो। उपनियम (ii) में वर्णित लघु कृषक की परिभाषा को राज्य में प्रभावी खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र फ.13 (10)खा.वि./खा.सु.अ/2013 जयपुर दिनांक 31.08.2013 के अनुरूप परिभाषित करते हुए उक्त नियमों के अन्तर्गत निम्नानुसार निर्धारित सीमा में भूमि धारित करता हो –

क्र.सं.	जिले	सिंचित भूमि (हैक्टेयर)	असिंचित भूमि (हैक्टेयर)
1.	एरिड क्षेत्र – जैसलमेर एवं बाड़मेर	1.50	10.00
2.	एरिड क्षेत्र – बीकानेर, नागौर, जालौर, पाली, चूरू एवं जोधपुर	1.50	7.00
3.	एरिड क्षेत्र – झुंझुनू, अजमेर, डूंगरपुर, उदयपुर एवं बांसवाड़ा	1.50	3.00
4.	शेष जिलों में	1.00	2.00

4. सीमान्त कृषक से अभिप्रेत है कि राजस्थान के ऐसे कृषक परिवारों के सदस्य, जो राज्य में प्रभावी एवं प्रचलित विधिक परिभाषा के अनुसार सीमान्त कृषक की श्रेणी में हो। उपनियम (iii) में वर्णित सीमान्त कृषक की परिभाषा को राज्य में प्रभावी खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र फ. 13 (10)खा.वि./खा.सु.अ/2013 जयपुर दिनांक 31.08.2013 के अनुरूप परिभाषित करते हुए उक्त नियमों के अन्तर्गत निम्नानुसार निर्धारित सीमा में भूमि धारित करता हो –

क्र.सं.	जिले	सिंचित भूमि (हैक्टेयर)	असिंचित भूमि (हैक्टेयर)
1.	एरिड क्षेत्र – जैसलमेर एवं बाड़मेर	0.75	5.00
2.	एरिड क्षेत्र – बीकानेर, नागौर, जालौर, पाली, चूरू एवं जोधपुर	0.75	3.50
3.	एरिड क्षेत्र – झुंझुनू, अजमेर, डूंगरपुर, उदयपुर एवं बांसवाड़ा	0.75	1.50
4.	शेष जिलों में	0.50	1.00

नोट :– इन नियमों में कोई आवेदक पेंशन की पात्रता रखते हुए भी, यदि आवेदन राजस्थान सामाजिक सुरक्षा वृद्धावस्था, विधवा, परित्यक्ता एवं तलाकशुदा पेंशन नियम 2013 एवं राजस्थान सामाजिक सुरक्षा विशेष योग्यजन पेंशन नियम 2013 के नियमों के अन्तर्गत पेंशन प्राप्त कर रहा है, या प्रार्थी स्वयं या पति या पत्नी या पुत्र केन्द्र सरकार/अन्य राज्य सरकार/राज्य सरकार/राजकीय उपक्रम में सेवारत हो या उनका पेंशनर हो तो वह इन नियमों के तहत पेंशन प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होगा।

पेंशन दर :– 75 वर्ष से कम आयु के पेंशनर को रूपये 750 प्रति माह तथा 75 वर्ष व अधिक आयु के पेंशनर को रूपये 1000 प्रति माह पेंशन देय है।

शैक्षणिक उत्थान

उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना

राजस्थान राज्य के मूल निवासियों के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा निम्नलिखित उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाऐं संचालित की जा रही हैं जिससे मैट्रिकोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्राप्त हो सके।

- अनुसूचित जाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना
- अनुसूचित जनजाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति छात्रवृत्ति योजना
- विशेष समूह मैट्रिक छात्रवृत्ति छात्रवृत्ति योजना (पूर्व में विशेष पिछड़ा वर्ग)
- अन्य पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना
- आर्थिक पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना
- विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु जाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना
- मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना राज्य में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, विशेष पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक पिछड़ा वर्ग के छात्र–छात्राओं को शैक्षणिक व व्यवसायिक पाठ्यक्रमों हेतु निम्नानुसार उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्तियां दी जा रही हैं :–

उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति

पात्रता

1. छात्र–छात्रा के माता–पिता/संरक्षक की वार्षिक आय रूपये 2.50 लाख तक हो।
2. छात्र–छात्रा राजकीय/मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम अन्तर्गत नियमित अध्ययनरत हो।
3. छात्र–छात्रा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का हो।
4. छात्र–छात्रा राजस्थान का मूल निवासी हो।

दस्तावेज :—

1. भामाशाह आईडी
2. आधार कार्ड
3. मूल निवास प्रमाण पत्र
3. आय घोषणा पत्र
5. फीस की रसीद
6. अन्तिम उत्तीर्ण परीक्षा की अंक तालिका

नोट :— विद्यार्थी की जाति एवं अन्य विवरण की सूचना भामाशाह पोर्टल के माध्यम से छात्रवृत्ति पोर्टल पर ली जाती है।

देय लाभ :—

इस योजना में नियमानुसार नॉन रिफण्डेबल फीस एवं अनुरक्षण भत्ते को शामिल कर छात्रवृत्ति के रूप में दिया जाता है।

उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति-अन्य पिछड़ा वर्ग

पात्रता

1. छात्र—छात्रा के माता—पिता/संरक्षक की वार्षिक आय रूपये 1.50 लाख तक हो।
2. छात्र—छात्रा राजकीय/मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम अन्तर्गत नियमित अध्ययनरत हो।
3. छात्र—छात्रा अन्य पिछड़ा वर्ग का हो।
4. छात्र—छात्रा राजस्थान का मूल निवासी हो।
5. छात्र—छात्रा विभाग द्वारा निर्धारित अन्य पिछड़ा वर्ग की 17 श्रेणियों से संबंधित हो :—

अन्य पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में विभाग द्वारा 01 से 17 तक निर्धारित श्रेणियां :—

1. बी.पी.एल. कार्ड धारक की पुत्री
2. बी.पी.एल. कार्ड धारक का पुत्र
3. अन्त्योदय कार्ड धारक की पुत्री
4. अन्त्योदय कार्ड धारक का पुत्र
5. स्टेट बी.पी.एल. कार्ड धारक की पुत्री
6. स्टेट बी.पी.एल. कार्ड धारक का पुत्र
7. अनाथ बालिका

8. अनाथ बालक
9. विधवा स्वयं
10. विधवा की पुत्री
11. विधवा का पुत्र
12. तलाकशुदा महिला स्वयं
13. तलाकशुदा महिला की पुत्री
14. तलाकशुदा महिला का पुत्र
15. विशेष योग्यजन स्वयं
16. विशेष योग्यजन की पुत्री
17. विशेष योग्यजन का पुत्र

दस्तावेज :–

1. भामाशाह आई.डी.
2. आधार कार्ड
3. मूल निवास प्रमाण पत्र
4. आय घोषणा पत्र
5. फीस की रसीद
6. अन्तिम उत्तीर्ण परीक्षा की अंक तालिका (वर्ष 2019–20 से न्यूनतम 60 प्रतिशत प्राप्तांक वाले विद्यार्थी ही आवेदन करने के पात्र है)
7. जाति प्रमाण पत्र

देय लाभ :–

योजना में नियमानुसार नॉन रिफण्डेबल फीस एवं अनुरक्षण भत्ते को शामिल कर छात्रवृत्ति के रूप में दिया जाता है।

डॉ. अम्बेडकर आर्थिक पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना

पात्रता

1. छात्र–छात्रा के माता–पिता / संरक्षक की वार्षिक आय रूपये 1 लाख तक हो।
2. छात्र–छात्रा राजकीय शिक्षण संस्थान में मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम अन्तर्गत नियमित अध्ययनरत हो।
3. छात्र–छात्रा आर्थिक पिछड़ा वर्ग (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा विशेष पिछड़ा वर्ग के अतिरिक्त) सामान्य श्रेणी का हो।
4. छात्र–छात्रा राजस्थान का मूल निवासी हो।

दस्तावेज :–

1. भामाशाह आईडी.
2. आधार कार्ड
3. मूल निवास प्रमाण पत्र
4. आय घोषणा पत्र
5. फीस की रसीद
6. अन्तिम उत्तीर्ण परीक्षा की अंक तालिका

देय लाभ :–

इस योजना में नियमानुसार नॉन रिफण्डेबल फीस एवं अनुरक्षण भत्ते को शामिल कर छात्रवृत्ति के रूप में दिया जाता है।

डॉ. अम्बेडकर विमुक्त, घुमन्तु तथा अर्द्ध-घुमन्तु (DNTs) उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना

पात्रता

1. छात्र–छात्रा के माता–पिता/संरक्षक की वार्षिक आय रूपये 2.00 लाख से कम हो।
2. छात्र–छात्रा राजकीय/मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम अन्तर्गत नियमित अध्ययनरत हो।
3. छात्र–छात्रा उक्त वर्ग (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल जातियों को छोड़कर) का हो
4. छात्र–छात्रा राजस्थान का मूल निवासी हो।

दस्तावेज :–

1. भामाशाह आईडी.
2. आधार कार्ड
3. मूल निवास प्रमाण पत्र
4. आय घोषणा पत्र
5. फीस की रसीद
6. अन्तिम उत्तीर्ण परीक्षा की अंक तालिका

देय लाभ :–

इस योजना में केवल अनुरक्षण भत्ता छात्रवृत्ति के रूप में दिया जाता है।

मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना

पात्रता

1. छात्र–छात्रा के माता–पिता/संरक्षक की वार्षिक आय रूपये 5.00 लाख से कम हो।
2. छात्र–छात्रा विभाग द्वारा सूचीबद्ध राष्ट्रीय स्तर की शिक्षण संस्थाओं में संचालित पाठ्यक्रम अन्तर्गत नियमित अध्ययनरत हो।
3. छात्र–छात्रा किसी भी वर्ग/जाति से हो।
4. छात्र–छात्रा राजस्थान का मूल निवासी हो।

विद्यार्थियों को शिक्षण संस्था द्वारा ली जाने वाली अनिवार्य अप्रतिदेय शुल्क / फीस राशि की आधी अर्थात 50 प्रतिशत फीस राशि का ही पुनर्भरण किया जाता है।

दस्तावेज :–

1. भामाशाह आई.डी.
2. आधार कार्ड
3. मूल निवास प्रमाण पत्र
4. आय घोषणा पत्र
5. फीस की रसीद
6. अन्तिम उत्तीर्ण परीक्षा की अंक तालिका

देय लाभ :–

अनुरक्षण भत्ते (Maintenance Allowance) की दरें निम्न प्रकार निर्धारित हैं :–

ग्रुप	कोर्स (यह कोर्स केवल उदारणार्थ, विस्तृत कोर्स नियमावली में उपलब्ध है)	SC/ST/SBC/DNTs		OBC/EBC		CMSS (मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना)
		छात्रावासी	गैर छात्रावासी	छात्रावासी	गैर छात्रावासी	
A	IIT AIIMS, MBBS, P.G., C.A., CS, M.Phil, Ph.D, D.Litt., LL.M., etc.	1200	550	750	350	योजना के साथ संलग्न सूची में वर्णित शिक्षण संस्थाओं में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को शिक्षण संस्था द्वारा ली जाने वाली अनिवार्य अप्रतिदेय शुल्क / फीस राशि की आधी अर्थात 50 प्रतिशत फीस राशि का ही पुनर्भरण किया जावेगा। अनुरक्षण भत्ता एवं प्रतिदेय शुल्क / फीस राशि का पुनर्भरण नहीं किया जावेगा।
B	B.Pharma, Nursing, LL.B., M.Ed., M.A., M.Sc., M.Com., M.Pharma Diploma etc.	820	530	510	335	
C	B.A., B.Sc., B.Com.	570	300	400	210	
D	ITI. Polytechnic Diploma Class XI and XIIth	380	230	260	160	

आवेदन कैसे करें

विभाग द्वारा विज्ञापन जारी करने के पश्चात आवेदक द्वारा छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाइन पत्र विभागीय बेवसाइट sje.rajasthan.gov.in पर दिये गये लिंक new scholarship portal पर अथवा छात्रवृत्ति पोर्टल www.scholarship.rajasthan.gov.in पर किया जा सकता है।

केन्द्रीय प्रवर्तित बुक बैंक योजना

राजकीय मान्यता प्राप्त संस्थान जो कि व्यावसायिक पाठ्यक्रमों यथा मेडिकल, इंजिनीयरिंग, कृषि, पॉलीटेक्निक, विधि, प्रबन्धन, सी.ए. जैसे पाठ्यक्रम संचालित कर रही संस्थाओं को उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना से लाभान्वित होने वाले विद्यार्थियों को शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से निःशुल्क पुस्तकें उपलब्ध करवाई जाने हेतु बजट की उपलब्धता के अनुसार शिक्षण संस्थाओं को बजट उपलब्ध करवाया जाता हें जिसके अन्तर्गत डिग्री पाठ्यक्रमों में दो छात्रों पर एक सेट के लिए 2400 रूपये से 7500 रूपये दिये जाते हैं एवं पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों में एक छात्र पर एक सेट के लिए 5000 रूपये आवंटन किये जाते है एवं प्रति अलमारी हेतु 2000 रूपये तक दिये जाते है।

छात्रावास योजना

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा वर्तमान में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के 723 राजकीय विद्यालय एवं महाविद्यालय स्तरीय छात्र–छात्राओं हेतु छात्रावास संचालित है। इसके अतिरिक्त 83 अनुदानित छात्रावास कुल 806 छात्रावास संचालित किये जा रहे है। शैक्षणिक सत्र 2018–19 में 802 छात्रावासों में स्वीकृत क्षमता 38361 है, जिसके विरूद्ध 34361 छात्र–छात्रायें आवासरत् रहे हैं। सत्र 2019–20 में ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया 20 मई से प्रारम्भ की गई। छात्रावासों में आवासरत विद्यार्थियों हेतु मैस भते एवं दैनिक उपयोग की वस्तुओं के लिये 2000 रूपये प्रति विद्यार्थी प्रतिमाह की दर से उपलब्ध करवाये जाते हैं। इन छात्रावासों में रहने वाले छात्र–छात्राओ को निःशुल्क आवास, पंलग, बिस्तर, बर्तन एवं भोजन एवं गर्म जर्सी, स्कूल यूनिफार्म व अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जाती है।

सत्र 2019–20 से छात्रावासों में प्रवेश हेतु विद्यार्थियों के परिवार की वार्षिक आय सीमा अधिकतम 2.50 लाख रूपये से बढ़ाकर 8,00 लाख रूपये की गयी है, जिससे अधिक परिवारों के विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जा सके।

सत्र 2019–20 से गत वर्ष छात्रावासों में आवासरत् छात्र/छात्राओं के पुनः प्रवेश के लिए 50 प्रतिशत प्राप्तांक की अनिवार्यता के स्थान पर 40 प्रतिशत प्राप्तांक की अनिवार्यता की गयी है।

वर्तमान में विभाग द्वारा संचालित श्रेणीवार छात्रावासों का विवरण निम्नानुसार है

छात्रावासों का प्रकार	छात्रावासों की संख्या			स्वीकृत छात्र संख्या		
	छात्र	छात्राएं	योग	छात्र	छात्राएं	योग
(अ) राजकीय छात्रावास						
1. अनु, जाति	352	45	397	15987	1975	17962
2. अनु. जनजाति	141	52	193	7035	2185	9220
3. पिछडा वर्ग	33	1	34	1695	50	1745
4. विशेष पिछडा वर्ग	41	11	52	2165	535	2700
योग	567	109	676	26882	4745	31627
(ब) महाविद्यालय स्तरीय कन्या छात्रावास						
1. अनु, जाति	1	25	26	50	1785	1835
2. अनु. जनजाति	0	16	16	0	1350	1350
3. पिछडा वर्ग	0	1	1	0	50	50
4. विशेष पिछडा वर्ग	0	4	4	0	300	300
योग	1	46	47	50	3485	3535
(स) अनुदानित छात्रावास						
1. अनु, जाति	37	3	40	1314	285	1599
2. अनु. जनजाति	33	9	42	1125	550	1675
3. पिछडा वर्ग	1	0	1	50	0	50
योग	71	12	83	2489	835	3324

छात्रावासों में प्रवेश हेतु विद्यार्थियों का वर्गवार आरक्षण का प्रावधान नियत है, जो निम्नानुसार हैं :–

क्र. सं.	छात्रावास का वर्गीकरण	प्रवेश में आरक्षण का निर्धारित प्रतिशत
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	• 60% अनुसूचित जाति मय स्वच्छकार (स्वच्छकारों को प्राथमिकता) • 10% अनुसूचित जनजाति • 15% अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विशेष पिछड़ा वर्ग • 15% आर्थिक पिछड़ा वर्ग
2.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	• 60% अनुसूचित जनजाति • 10% अनुसूचित जाति • 15% अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विशेष पिछड़ा वर्ग • 15% आर्थिक पिछड़ा वर्ग
3.	अन्य पिछड़ा वर्ग	• 60% अन्य पिछडा वर्ग एवं विशेष पिछडा वर्ग • 10% अनुसूचित जाति • 15% अनुसूचित जनजाति • 15% आर्थिक पिछड़ा वर्ग
4.	स्वच्छकार वर्ग	• 60% अनुसूचित जाति मय स्वच्छकार (स्वच्छकारों को प्राथमिकता) • 10% अनुसूचित जनजाति • 15% अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विशेष पिछड़ा वर्ग • 15% आर्थिक पिछड़ा वर्ग
5.	देवनारायण छात्रावास	• 60% विशेष पिछडा वर्ग • 15% अन्य पिछडा वर्ग • 10% अनुसूचित जाति • 05% अनुसूचित जनजाति • 10% आर्थिक पिछड़ा वर्ग

आवासीय विद्यालय योजना

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा आवासीय विद्यालय योजना 1997–98 से प्रारम्भ की गई थी। इस योजना का मूल उद्देश्य राज्य में अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के प्रतिभावन छात्र/छात्राओं एवं निष्क्रमणीय पशुपालकों तथा भिक्षावृत्ति एवं अन्य अवांछित गतिविधियों में लिप्त परिवारों के बच्चों को स्वच्छ एवं अच्छे वातावरण में कक्षा 6 से 12 तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलबध करवाना है। राज्य में 25 आवासीय विद्यालयों का संचालन किया जा रहा हे।

- 25 आवासीय विद्यालयों में से 10 विद्यालय KFW जर्मनी के आर्थिक सहयोग से एवं 15 आवासीय विद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्मित है।
- 25 आवासीय विद्यालय विशेष वर्गो के लिए निम्नानुसार संचालित हैं :–

(1) गैर–जनजाति क्षेत्र में संचालित आवासीय विद्यालय, केनपुरा (पाली), पावटा (नागौर), बगड़ी (दौसा), हिंगी (कोटा), अटरू (बांरा), छाण (सवाईमाधोपुर), मण्डोर (जोधपुर), भैंसवाड़ा (जालौर), वजीरपुरा (टोंक) एवं आटूण (भीलवाड़ा)।

(2) जनजाति क्षेत्र में संचालित आवासीय विद्यालय, खोडन (बांसवाड़ा) एवं खेड़ा आसपुर (डूंगरपुर)।

(3) हरियाली (जालौर), धनवाड़ा (झालावाड़) एवं सागवाड़ा (डूंगरपुर) निष्क्रमणीय पशुपालकों के बालकों हेतु आवासीय विद्यालय।

(4) मण्डाना (कोटा), भिक्षावृत्ति व अन्य आवांछित वृत्तियों में लिप्त परिवारों के बालकों हेतु आवासीय विद्यालय।

(5) देवनारायण आवासीय विद्यालय तेलीखेड़ा (भीलवाड़ा), चांडपुरा (जालौर), युसुफपुरा (टोंक), बालेटा (अलवर), देवलेन (करौली), हिण्डौली (बूंदी), अमरपुर (दौसा), मच्छीपुरा (सवाईमाधोपुर) एवं अलापुरी (भरतपुर)।

- सभी आवासीय विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2019–20 में लगभग 8285 बालक/बालिकाएँ अध्ययनरत हैं।

- इन आवासीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा, आवास, भोजन, नाश्ता, विद्यालय पोशाक, पाठ्य पुस्तकें, लेखन सामग्री आदि का समस्त व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है।
- प्रवेश का आधार – आवासीय विद्यालयों में प्रवेश पिछली कक्षा में अर्जित अंकों की मेरिट के आधार पर दिया जाता है।

योजना का उद्देश्य

- के.एफ.डब्लयू. जर्मनी द्वारा प्रदत्त वृहद आर्थिक सहयोग व राज्य सरकार द्वारा निर्मित आवासीय विद्यालयों के सुन्दर, स्वच्छ एवं शिक्षानुकूल वातावरण में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाना है।

योजना किन वर्गों के लिए

- राजस्थान के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग तथा निष्क्रमणीय पशुपालक, भिक्षावृत्ति एवं अवांछित वृत्तियों में लिप्त परिवारों के तथा आर्थिक पिछड़ा वर्ग के गरीब बालक/बालिकाओं के लिए।

योजना हेतु पात्रता

- राजस्थान के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक पिछड़ा वर्ग के बी.पी.एल. परिवारों के बालक/बालिकाओं के प्रवेश उपरान्त शेष रिक्त स्थानों पर ऐसे परिवार जिनकी सभी स्त्रातों से वार्षिक आय 8.00 लाख रूपये से कम हो, आवासीय विद्यालय में प्रवेश ले सकते है।

प्रवेश हेतु आरक्षण का प्रतिशत

क्र. सं.	वर्ग	प्रवेश में आरक्षण का निर्धारित प्रतिशत
1.	अनुसूचित जाति क्षेत्र में स्थापित विद्यालय हेतु	• 60% अनुसूचित जाति • 15% अनुसूचित जनजाति • 15% अन्य पिछड़ा वर्ग (विशेष पिछड़ा वर्ग सहित) • 10% आर्थिक पिछड़ा वर्ग
2.	अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में स्थापित विद्यालय हेतु	• 60% अनुसूचित जनजाति • 15% अनुसूचित जाति • 15% अन्य पिछड़ा वर्ग (विशेष पिछड़ा वर्ग सहित) • 10% आर्थिक पिछड़ा वर्ग
3.	विशेष पिछड़ा वर्ग क्षेत्र में स्थापित विद्यालय हेतु (देवनारायण आवासीय विद्यालय)	• 60% विशेष पिछड़ा वर्ग • 10% अनुसूचित जाति • 10% अनुसूचित जनजाति • 10% अन्य पिछड़ा वर्ग • 10% आर्थिक पिछड़ा वर्ग
4.	निष्क्रमणीय पशुपालकों के बच्चों हेतु आवासीय विद्यालय	• 100% निष्क्रमणीय पशुपालकों के बच्चों हेतु
5.	भिक्षावृत्ति एवं अवांछित वृत्तियों में लिप्त परिवारों के बच्चों हेतु आवासीय विद्यालय	• 100% भिक्षावृत्ति एवं अवांछित वृत्तियों में लिप्त परिवारों के बच्चों हेतु

आवासीय विद्यालयों में उपरोक्त आरक्षित वर्गों में स्थानीय जिले के 50 प्रतिशत तथा अन्य जिलों के लिए 50 प्रतिशत स्थान आरक्षित होंगे।

आवेदन प्रक्रिया

आवासीय विद्यालयों में प्रवेश हेतु प्रतिवर्ष ऑनलाईन आवेदन पत्र sjms.rajasthan.gov.in पोर्टल पर आमंत्रित किये जाते है। विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु प्रतिवर्ष ई–मित्र, कियोस्क, साइबर कैके, निजी इन्टरनेट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन पत्र के साथ संबंधित दस्तावेज स्कैन कर अपलोड किये जाते हैं।

नोट :— अधिक जानकारी हेतु विभागीय वेबसाईट http:/www.sje.rajasthan.gov.in एवं विभागीय टोल फ्री नम्बर 1800 1806 127 से प्राप्त की जा सकती है।

मुख्यमंत्री निःशुल्क कोचिंग योजना

विभाग द्वारा मुख्यमंत्री निःशुल्क कोचिंग योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 से विभाग के जयपुर (शहर) एवं कोटा (शहर) में संचालित राजकीय छात्रावासों में आवासरत छात्र–छात्राओं को राष्ट्रीय स्तर के इन्जीनियरिंग, मेडिकल, प्रबन्धन व विधि महाविद्यालयों में प्रवेश की तैयारी हेतु मुख्यमंत्री निःशुल्क कोचिंग योजना का संचालन प्रारम्भ किया गया है। इस वर्ष 2019–20 में मुख्यमंत्री निःशुल्क कोचिंग योजना के दिशा–निर्देशों में संशोधन कर, योजना का संभागीय मुख्यालयों एवं सीकर जिला मुख्यालय तथा कुचामन सिटी, जिला नागौर में कोचिंग योजना करवाये जाने हेतु संशोधन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

अनुप्रति योजना

विभाग द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/विशेष समूह (पूर्व में विशेष पिछड़ा वर्ग) अन्य पिछड़ा वर्ग बीपीएल/सामान्य वर्ग बीपील तथा आर्थिक पिछड़ा वर्ग (सामान्य वर्ग) जिसने अन्तिम परीक्षा में 85 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हो।

परिवारों के अभ्यथियों के लिए अनुप्रति योजना का निम्नानुसार संचालन किया जा रहा है।

योजना में विभिन्न स्तरों पर देय प्रोत्साहन राशि का विवरण निम्नानुसार है :—

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा हेतु

प्रारम्भिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर	रू. 65,000
मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर	रू. 30,000
साक्षात्कार में उत्तीर्ण (अन्तिम रूप से चयन) होने पर	रू. 5,000

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (सीधी भर्ती) संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा हेतु

प्रारम्भिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर	रू. 25,000
मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर	रू. 20,000
साक्षात्कार में उत्तीर्ण (अन्तिम रूप से चयन) होने पर	रू. 5,000

प्रोफेशनल/तकनीकी पाठ्यक्रमों में राष्ट्रीय स्तर के शिक्षण संस्थानों जैसे आई.आई.टी. / आई.आई.एम. / एम्स / एन.आई.टी., एल.एल.यू. आदि प्रवेश परीक्षा में सफल होने पर तथा संस्थान में प्रवेश लेने के उपरांत अभ्यर्थी को देय प्रोत्साहन की राशि रूपये 40,000 से 50,000 रूपये है।

राजस्थान सरकार द्वारा स्थापित राजकीय मेडिकल/इंजीनियरिंग कॉलेजो में सफल होने तथा राजकीय संस्थान में प्रवेश लेने के उपरान्त अभ्यर्थी को देय प्रोत्साहन राशि 10,000/– रूपये है।

पात्रता

- अभ्यर्थी राजस्थान राज्य का मूल निवासी हो।
- अभ्यर्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विशेष समूह
- (पूर्व में विशेष पिछड़ा वर्ग), अन्य पिछड़ा वर्ग बी.पी.एल. (स्टेट बी.पी.एल. सहित) एवं सामान्य वर्ग बी.पी.एल. (स्टेट बी.पी.एल. सहित) का सदस्य हो। (अन्तिम परीक्षा में 85 प्रतिशत अंक अर्जित करने वाले ऐसे अभ्यर्थी जो आर्थिक पिछड़ा वर्ग (सामान्य वर्ग) के सदस्य है वे भी योजना हेतु पात्र होंगे।
- अनूसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं विशेष समूह (पूर्व में विशेष पिछड़ा वर्ग) के अभ्यर्थी के माता–पिता/अभिभावकों की वार्षिक आय (अभ्यर्थी की आय को सम्मिलित करते हुये यदि है तो) 2.50 लाख (दो लाख पचास हजार

रूपये से अधिक न हो। यदि अभ्यर्थी के माता–पिता/अभिभावक राजकीय सेवा में कार्यरत है तो विभागाध्यक्ष/कार्यालयध्यक्ष द्वारा जारी किया गया आय प्रमाण पत्र मान्य होगा।

- अभ्यर्थी द्वारा प्रतियोगी परीक्षा का निर्धारित चरण उत्तीर्ण कर लिया गया हो।
- राजस्थान लोक सेवा आयोग क्षरा आयोजित राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा में पूर्व से राजकीय सेवा में कार्यरत नहीं हो।
- अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण कर सूचीबद्ध शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश ले लिया हो।
- आर्थिक पिछड़ा वर्ग (सामान्य वर्ग) के अभ्यर्थी द्वारा योजनान्तर्गत प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने हेतु गत परीक्षा (अंतिम परीक्षा) में 85 प्रतिशत अंक होने का प्रमाण पत्र/अंकतालिका।

आवेदन

अभ्यर्थी द्वारा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के उत्तीर्ण होने/ शिक्षण संस्थानों में प्रवेश लेने के छः माह की अवधि में आवेदन पत्र सम्बधित जिले (अभ्यर्थी का गृह जिला) के जिलाधिकारी को ऑन लाईन ही किया जावेगा। जिलाधिकारी द्वारा आवेश्न पत्र ऑन लाईन परीक्षणोपरांत नियमानुसार पूर्ण एवं पात्र पाये जाने पर आवेदन पत्र ऑन लाईन किये जाने की दिनांक से दो माह की अवधि में ऑन लाईन स्वीकृति जारी कर ऑन लाईन ही अभ्यर्थी के बैंक खाते के माध्यम से भुगतान किया जावेगा।

आवेदन पत्र छः माह की अवधि के पश्चात् 12 माह तक की अवधि में प्रस्तुत करने पर जिलाधिकारी विलम्ब के कारण सहित शिथिलता हेतु प्रकरण निदेशालय को भिजवाया जायेगा। आयुक्त/निदेशक द्वारा ऐसे प्रकरणों में शिथिलता दी जावेगी। उक्त अवधि के उपरान्त प्राप्त आवेदन पत्रों पर शिथिलता का प्रावधान लागू नहीं होगा।

दस्तावेज

1. भामाशाह आई.डी.
2. आधार कार्ड
3. परीक्षा उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र
4. आय घोषणा पत्र
5. मूल निवास प्रमाण पत्र
6. जाति प्रमाण पत्र
7. फीस की रसीद
8. आई.डी. कार्ड
9. बैंक खाता संख्या
10. बी.पी.एल. प्रमाण पत्र

महिला एवं बाल कल्याण

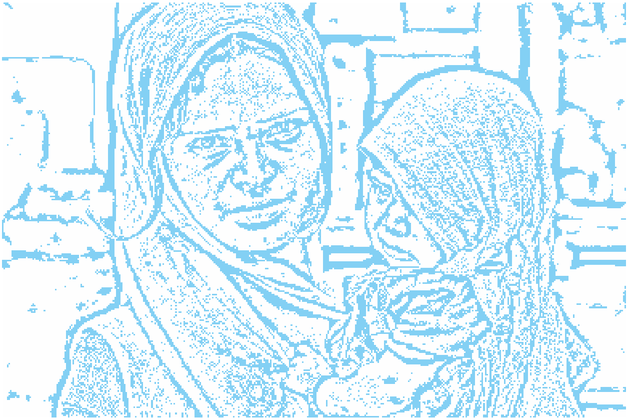

विधवा पुनर्विवाह उपहार योजना

- राज्य की विधवा महिलाओं के पुनर्विवाह को प्रोत्साहन देने के लिए विधवा पेंशन की पात्रता रखने वाली महिलाओं को उनके पुनर्विवाह पर राज्य सरकार की ओर से उपहार स्वरूप राशि रूपये 51,000/– देने का प्रावधान है।
- उक्त योजना के नियमानुसार राज्य सरकार की विधवा पेंशन की पात्रताधारी महिला के पुनर्विवाह करने पर राज्य सरकार की उक्त योजना का लाभ लेने के लिए उसे विभाग के सम्बन्धित जिला अधिकारी को आवेदन करना होगा, जिसकी आवश्यक जांच पश्चात् जिलाधिकारी द्वारा उपहार राशि भुगतान की जायेगी।

सहयोग एवं उपहार योजना

सहयोग योजना एवं विधवा महिलाओं की पुत्री के विवाह पर सहायता योजना का एकीकरण, सहयोग एवं उपहार योजना संचालन नियम 2015, जारी किये गये।

पात्रता

1. इस योजना के अन्तर्गत सहायता केवल राजस्थान राज्य के मूल निवासियों को ही दी जा सकेगी।
2. इस योजना के आवेदक विवाह योग्य कन्या के माता/पिता/संरक्षक होंगे।
3. यह योजना केवल 18 वर्ष या अधिक आयु की किन्हीं दो कन्या संतानों के विवाह हेतु ही लागू होगी।
4. समस्त वर्गों के बी.पी.एल. परिवार।
5. सभी वर्गों के अन्त्योदय परिवार।
6. आस्था कार्डधारी परिवार।
7. इस योजनान्तर्गत आर्थिक दृष्टि से ऐसी कमजोर विधवा महिलाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान के लिये पात्रता निम्नानुसार होगी।

   i) महिला जिसके पति की मृत्यु हो गई हो तथा उसने पुनर्विवाह नहीं किया है।

ii) विधवा की वार्षिक आय हर स्त्रोत से 50,000 रूपये वार्षिक से अधिक नहीं हो।

iii) परिवार में 25 वर्ष व इससे अधिक आयु का कोई कमाने वाला सदस्य परिवार में नहीं हो।

8. ऐसी विवाह योग्य कन्या, जिसके माता–पिता दोनों का देहान्त हो चुका है, उसकी देखभाल करने वाली संरक्षक विधवा महिला द्वारा आवेदन किया जा सकता है।

9. ऐसी विवाह योग्य कन्या जिसके माता–पिता दोनों कोई भी जीवित नहीं है तथा परिवार के किसी भी सदस्य की आय रूपये 50 हजार वार्षिक से अधिक नहीं है, के विवाह हेतु किसी संरक्षक द्वारा आवेदन किया जा सकेगा।

10. जिन कन्या संतानों के विवाह हेतु राज्य सरकार के द्वारा पूर्व में संचालित सहयोग योजना अथवा विधवा पुत्री के विवाह हेतु सहायता अनुदान राशि प्राप्त की जा चुकी हैं, उन कन्या संतानों को भी इस नवीन योजना में अधिकतम संतानों की गिनती में सम्मिलित माना जायेगा।

संभाग स्तरीय नारी निकेतन/राज्य महिला सदन

राज्य में विभाग द्वारा महिलाओं के पुनरूत्थान, सुरक्षा, जीविकोपार्जन आदि की दृष्टि से राज्य महिला सदन/संभाग स्तरीय नारी निकेतन Rules for The Administration, Admission and Rehabilitation of Persons in Home and Shelters, 1970 के नियमानुसार संचालित है जिनका मुख्य उद्देश्य अनैतिक एवं सामाजिक रूप से उत्पीड़ित महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना एवं उनमें नवजीवन का संचार करना है। महिला सदन जयपुर एवं संभाग स्तरीय नारी निकतनों में महिलाओं को प्रवेश देकर निःशुल्क आवास, भोजन, वस्त्र, चिकित्सा एवं शिक्षण प्रशिक्षण की सुविधा उपलबध कराई जाती है। पुनर्वास व्यवस्था के अन्तर्गत जिन आवासनियों के द्वारा विभिनन न्यायालयों में प्रकरण दर्ज हैं, उनको सम्बन्धित जिलों के न्यायालयों एवं राजस्थान उच्च न्यायालय में अपना पक्ष रखने हेतु भेजा जाता है तथा न्यायालय के निर्णयानुसार आवासिनियों को उनके अभिभावक व संरक्षकों को सौंप दिया जाता है। साथ ही राज्य महिला सदन जयपुर/नारी निकेतन में निवासित आवासिनियों को विवाह द्वारा भी पुनर्वासित किया जाता है। आवासिनियों को कौशल प्रशिक्षण दिया जाकर समाज की मुख्यधारा में जोड़ा जाता है।

राज्य महिला सदन/नारी निकेतनों की स्वीकृत क्षमता का विवरण

क्र.सं.	राज्य महिला सदन/नारी निकेतन	स्वीकृत क्षमता
1.	राज्य महिला सदन, जयपुर	150
2.	नारी निकेतन, अजमेर	50
3.	नारी निकेतन, जोधपुर	50
4.	नारी निकेतन, बीकानेर	50
5.	नारी निकेतन, कोटा	50
6.	नारी निकेतन, उदयपुर	50
7.	नारी निकेतन, भरतपुर	50

उज्ज्वला योजना

भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा उज्ज्वला योजनान्तर्गत देह व्यापार में लिप्त महिलाओं एवं उनके बच्चों को अवांछनीय कार्यों में लिप्त होने से रोकने, बचाने तथा समाज में सम्मानपूर्वक जीवन जीने के लिए स्वावलम्बी बनाकर इन्हें समाज में पुनर्वास कर समाज की मुख्यधारा में जोड़ने का कार्य स्वयंसेवी संस्थाओं (NGO) के माध्यम से किया जा रहा है।

योजना के उद्देश्य

- सामाजिक योगदान और जनता में जागरूकता बढ़ाकर, जगह–जगह नुक्कड़ नाटक, फिल्मों के माध्यम से महिलाओं और बच्चों के यौन उत्पीड़न और उनकी तस्करी को रोकना।
- पीड़ितों को शोषण के स्थान से बचाने के लिए सुरक्षित जगह ले जाना।
- पीड़ितों को तत्काल और दीर्घकालिक पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के लिए आश्रय, भोजन, कपड़े, स्वास्थ्य संबंधी एवं कानूनी सहायता और व्यावसायिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराना।

- पीड़ितों को परिवार और समाज में पुनर्स्थापन की सुविधा प्रदान करना।
- सीमावर्ती पीड़ितों को अपने देश भेजने की सुविधा प्रदान करना।

लक्षित समूह

- ऐसी महिलाएं और बच्चे जो कि व्यावसायिक यौन शोषण की चपेट में आ जाने पर असुरक्षित हैं।
- ऐसी महिलाएं और बच्चे जो कि व्यावसायिक यौन शोषण के लिए तस्करी के शिकार हैं।

योजना के घटक

- निवारण **(Prevention)**
- बचाव **(Rescue)**
- पुनर्वास **(Rehabilitation)**
- पुनः एकीकरण **(Reintegration)**
- देश–प्रत्यावर्तन **(Repatriation)**

स्वाधार गृह योजना

भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा विपरीत परिस्थितियों में जीवन यापन करने वाली महिलाओं को आश्रय प्रदान करने हेतु स्वाधार योजना प्रारम्भ की गई। योजनान्तर्गत आश्रय, भोजन, वस्त्र, परामर्श सेवायें, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य से सम्बन्धित एवं विधिक सहायता प्रदान करते हुए उन्हें पुनर्वासित किया जाता है, ताकि वे सम्मानपूर्वक एवं विश्वासपूर्वक अपना जीवन यापन कर सकें।

उद्देश्य

1. बिना किसी सामाजिक और आर्थिक सहायता वाली व्यथित महिलाओं को आश्रय, भोजन, वस्त्र, स्वास्थ्य चिकित्सा संबंधी सेवाएं प्रदान करना।
2. दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों की शिकार एवं व्यथित महिलाओं भावनात्मक मनोबल को सुदृढ़ कर उन्हें समर्थ बनाना।

3. परिवार समाज में स्वयं को पुनः अवस्थित करने के योग्य बनाने के लिए उन्हें कानूनी सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करना।
4. आर्थिक एवं भावनात्मक दृष्टिकोण पुनःस्थापित करना।
5. व्यथित महिलाओं की विभिन्न आवश्यकताओं को समझाने और उन्हें पूरा करने के लिए सहायक तंत्र के रूप में काम करना।
6. सम्मान एवं विश्वासपूर्वक नए सिरे से जीवन आरंभ करने के योग्य बनाना।

कार्यनीति

(क) भोजन, वस्त्र, चिकित्सा सुविधाओं आदि सहित अस्थायी आवास

(ख) ऐसी महिलाओं के आर्थिक पुनःस्थापन हेतु व्यावसायिक और कौशल प्रशिक्षण।

(ग) काउंसिलंग, जागरूकता में बढ़ोतरी तथा आचरण संबंधी प्रशिक्षण।

(घ) कानूनी सहायता एवं मार्गदर्शन।

(ड) दूरभाष द्वारा काउंसिलिंग।

लाभार्थी

निम्न वर्गों से 18 वर्ष से अधिक आयु की महिलाएं इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकती है।

(क) बिना किसी आर्थिक एवं सामाजिक सहायता वाली परित्यक्त महिलाएं।

(ख) प्राकृतिक आपदा के पश्चात् बेघर हुई महिलाएं जिन्हें कोई सामाजिक अथवा आर्थिक सहायता या सहयोग प्राप्त नहीं है।

(ग) जेल से रिहा की गई ऐसी महिलाएं जिनका कोई परिवार नहीं है तथा जो सामाजिक आर्थिक रूप से असहाय हो।

(घ) घरेलू हिंसा, पारिवारिक तनाव या कलह से पीड़ित महिला जो गुजारा भत्ता के बगैर घर छोड़ने पर विवश हो तथा ऐसी महिलाएं जिनका शोषण और/या वैवाहिक कलह के कारण मुकदमेबाजी झेल रही हो, और उनके पास कोई विशेष सुरक्षा उपाय न हो।

(ड) महिलाओं के अवैध व्यापार/वैश्यालयों से छुड़ाई गई या भाग कर बेचकर आई हुई बालिकाओं या अन्य स्थानों से जहां वे शोषण का शिकार हो जाती हैं तथा एचआईवी/एड्स से पीडित सामाजिक या आर्थिक सहायता से विहीन महिलाएं। यद्यपि ऐसी महिलाएं/बालिकाएं पहले उज्ज्वला स्कीम के अन्तर्गत, जहां कहीं भी लागू होगी, सहायता प्राप्त करेंगी।

दहेज निषेध को प्रोत्साहन एवं प्रचार-प्रसार

दहेज का ''लेना व देना'' प्रतिबन्धित करने के लिए अधिनियम है। इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम ''दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961'' है।

समाज सुधार की दिशा में राज्य सरकार द्वारा दहेज प्रतिषेध अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये विभाग द्वारा राज्य के समस्त 33 जिलों में जिलाधिकारियों (उप निदेशक, सहायक निदेशक, जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी) को उनके क्षेत्राधिकार सहित नियुक्त किया गया है। अधिसूचित नियम 2004 के अन्तर्गत दहेज प्रतिषेध से सम्बन्धित कार्यों का प्रशासन व समन्वय का कार्य मुख्य दहेज प्रतिषेध अधिकारी द्वारा किया जाता है।

प्रत्येक जिले में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में एक सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया है जो कि दहेज प्रतिषेध अधिकारी की कार्यक्षमता और प्रक्रिया को बढ़ाने, सलाह देने और निर्धारण के उद्देश्य से सम्बन्धित मामलों में उचित सहयोग प्रदान करेगा।

कोई भी परिवाद किसी भी व्यक्ति या ऐसे माता–पिता या किसी अन्य सम्बन्धी द्वारा या किसी भी मान्यता प्राप्त कल्याण अधिकारी को या तो व्यक्तिशः या सन्देशवाहक के माध्यम से या डाक से लिखित में प्रस्तुत कराया जा सकता है।

पालनहार योजना

उद्देश्य

अनाथ बच्चों के पालन पोषण, शिक्षा आदि की व्यवस्था संस्थागत नहीं की जाकर समाज के भीतर ही बच्चे के निकटतम रिश्तेदार/परिचित व्यक्ति/वयस्क

भाई अथवा बहिन को पालनहार बनाकर राज्य की ओर से आर्थिक सहायता देना – इस प्रकार राज्य सरकार द्वारा संचालित यह योजना सम्पूर्ण भारतपवर्ष में अनूठी व अनुकरणीय है :

1. अनाथ बच्चे
2. मृत्युदण्ड / आजीवन कारावास प्राप्त माता–पिता अथवा माता–पिता दोनों में से एक की मृत्यु हो चुकी हो व दूसरे को मृत्युदण्ड या आजीवन कारावास की सजा हो चुकी हो के बच्चे।
3. निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा माता के तीन बच्चे।
4. पुनर्विवाहित विधवा माता के बच्चे।
5. एच.आई.वी. / एड्स पीड़ित माता / पिता के बच्चे।
6. कुष्ठ रोग से पीड़ित माता / पिता के बच्चे।
7. नाता जाने वाली माता के तीन बच्चे।
8. विशेष योग्यजन माता / पिता के बच्चे।
9. तलाकशुदा / परित्यक्ता महिला के बच्चे।

देय लाभ

1. 0–6 आयु वर्ग के बच्चे हेतु – 500 रूपये प्रतिमाह (आंगनबाड़ी जाना अनिवार्य)
2. 6–18 आयु वर्ग के बच्चे हेतु – 1000 रूपये प्रतिमाह (विद्यालय जाना अनिवार्य)
3. वस्त्र, स्वेटर, जूते आदि हेतु – 2000 रूपये वार्षिक अतिरिक्त एकमुश्त देय (विधवा पालनहार व नाता पालनहार में देय नहीं)

शर्तें

1. पालनहार परिवार की वार्षिक आय 1.20 लाख रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
2. बच्चे की अधिकतम आयु 18 वर्ष से कम होनी चाहिए।
3. पालनहार एवं बच्चे राजस्थान राज्य के मूलनिवासी हो अथवा आवेदन की तिथि से कम से कम 3 वर्ष की अवधि से राजस्थान राज्य में रह रहे हो।

दस्तावेज

1. अनाथ बच्चों के प्रकरण में माता–पिता के मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति।
2. मृत्युदण्ड/आजीवन कारावास प्राप्त माता–पिता के बच्चों के प्रकरण में दण्डादेश की प्रति।
3. निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा माता के बच्चों के प्रकरण में सामाजिक सुरक्षा पेंशन भुगतान आदेश (पी.पी.ओ. आदेश)।
4. पुनर्विवाहित विधवा माता के बच्चों के प्रकरण में विधवा माता के पुनर्विवाह करने के प्रमाण पत्र की प्रति।
5. एच.आई.वी./एड्स पीड़ित माता/पिता के बच्चों के प्रकरण में ए.आर.टी. सेन्टर द्वारा जारी ए.आर.डी. डायरी (ग्रीन डायरी) की प्रति।
6. कुष्ठ रोग से पीड़ित माता/पिता के बच्चों के प्रकरण में सक्षम बोर्ड द्वारा जारी किये गये चिकित्सा प्रमाण पत्र की प्रति।
7. नाता जाने वाली माता के बच्चों के प्रकरण में माता को नाता गये हुए एक वर्ष से अधिक समय होने का प्रमाण पत्र की प्रति।
8. विशेष योग्यजन माता/पिता के बच्चों के प्रकरण में सक्षम बोर्ड द्वारा जारी किये गये 40% या अधिक निःशक्तता के प्रमाण पत्र की प्रति।
9. तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला के बच्चों के प्रकरण में सामाजिक सुरक्षा पेंशन भुगतान आदेश (पी.पी.ओ. आदेश)।

वृद्ध कल्याण

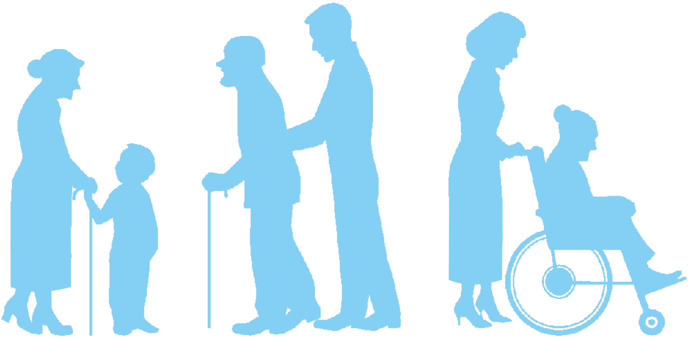

भक्त श्रवण कुमार कल्याण सेवा आश्रम नियम, 2004

वृद्धावस्था में वृद्धजन अपने जीवन को उल्लासपूर्वक बिता सकें, इसके लिए राजस्थान सरकार द्वारा स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से निःसहाय/निराश्रित/वृद्ध/अशक्त/वृद्ध दम्पती की उचित देखभाल हेतु राजस्थान राज्य भक्त श्रवण कुमार कल्याण सेवा आश्रम नियम 2004 जारी किये गये। इन केन्द्रों में 60 वर्ष या इससे ऊपर की आयु के पुरूष तथा 55 वर्ष या इससे ऊपर की आयु की महिलाओं को प्रवेश दिया जाता है। इन केन्द्रों की उद्देश्य वृद्ध एवं अशक्त व्यक्तियों को उनके परिवार से जुड़े रहते हुए एक ओर उनकी आवश्यकताओं जैसे चिकित्सा सेवा, प्रौढ़ शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, धार्मिक प्रवचन, धार्मिक स्थलों का भ्रमण आदि की पूर्ति करना है वहीं दूसरी और उनके अमूल्य हुनर व अनुभव द्वारा संबंधित वर्गों को लाभान्वित करना है। भक्त श्रवण कुमार कल्याण सेवा आश्रम में एकीकृत पैकेज के अन्तर्गत 25–25 वृद्ध व्यक्तियों को प्रवेश दिया जाता है। वृद्धजनों को इन आश्रमों में निःशुल्क चाय, अल्पाहार, भुने हुए चने, कभी–कभी विशेष भोजन आदि देने का प्रावधान है। इन आश्रमों में वृद्ध व्यक्तियों के मनोरंजन हेतु राज्य सरकार द्वारा टेलीविजन, ताश, कैरम, ढोलक, हारमोनियम, गीता, रामायण व दैनिक समाचार पत्र की सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है। **13 जिलों में 22 डे केयर संचालित हैं।**

जिला एवं तहसील मुख्यालय पर वृद्धाश्रम

वित्तीय वर्ष 2013–14 की बजट घोषणा संख्या 88 की क्रियान्विति की पालना में वृद्धाश्रम संचालन नियम के अंतर्गत किराये के भवनों में स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से वृद्धाश्रम का संचालन किया गया। वर्तमान में जिला एवं तहसील मुख्यालय पर राजकीय एवं स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से कुल 42 वृद्धाश्रम संचालित है।

राजस्थान राज्य वरिष्ठ नागरिक कल्याण बोर्ड

''राजस्थान राज्य वरिष्ठ नागरिक कलयाण बोर्ड'' का गठन कर वरिष्ठ नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने तथा उनमें विश्वास कायम करने की दृष्टि से'' राजस्थान राज्य वरिष्ठ नागरिक कल्याण बोर्ड'' का गठन किया गया था।

इसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों की सृजनात्मक प्रतिभाओं का उपयोग करके सरकारी/गैर–सरकारी संगठनों तथा समुदाय की क्षमता के निर्माण में जागरूकता पैदा करना एवं सहायता प्रदान करना, वरिष्ठ नागरिकों के प्रति बच्चों व युवाओं को संवेदनशील बनाना, वयोवृद्धों को सुदृढ़ बनाना व स्वयं वृद्धों को अपने अधिकारों एवं हितों के संरक्षण योग्य बनाना है।

राज्य वृद्धजन नीति

राज्य सरकार द्वारा वृद्ध व्यक्तियों की सुरक्षा हेतु 8 दिसम्बर, 2004 को राज्य वृद्धजन नीति जारी की जा चुकी है।

चिरायु योजना-2008

राज्य में उपेक्षित वृद्धजनों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के दृष्टिकोण से चिरायु योजना वर्ष 2008–09 में प्रारम्भ की गई है। इस योजनान्तर्गत पी.पी.पी. मोड़ पर विभाग द्वारा 13 वृद्धाश्रम भवन निर्माण हेतु अनुदान राशि स्वीकृत की गई।

आर्थिक उत्थान की योजनाएं

अनुसूचित जाति उपयोजना

अनुसूचित जाति विकास हेतु राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या के अनुपात में राज्य योजनान्तर्गत व्यय सुनिश्चित करने की दृष्टि से, आयोजना मद में मांग संख्या 51 के अन्तर्गत बजट उप शीर्ष 789 खोलकर बजट में अलग से प्रावधान किये जा रहे हैं तथा आयोजना विभाग द्वारा इस हेतु पृथक् से दिशा निर्देश जारी किये जा चुके हैं। इस योजना के अन्तर्गत विकास से सम्बद्ध प्रत्येक विभाग द्वारा अपनी चिन्हित योजनाओं के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के परिवारों को लाभान्वित करने के लिए आवश्यक धन राशि एवं परिवार संख्या का लक्ष्य रखा जाता है, ताकि राज्य सरकार के सभी कार्यक्रमों का उपयुक्त लाभ अनुसूचित जातियों पर पहुंचाया जा सके एवं विकास योजनाओं का वास्तविक लाभ उन्हें मिल सके। अनुसूचित जाति उपयोजना वास्तव में राज्य योजना में एक योजना है। इस उप योजना में विभागों द्वारा अपनी योजनाओं में बजट प्रावधान अनुसूचित जाति की जनसंख्या के अनुपात में किया जाता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 17.83 प्रतिशत है। इसी के अनुरूप सभी विभागों द्वारा बजट प्रावधान करवाये जा रहे है। अनुसूचित जाति के अधिकांश लोग अभी भी गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे है। अतः इस योजना का उद्देश्य उनके जीवन का सम्पूर्ण विकास कर उनके रहने व काम करने की दशा में समुचित सुधार लाना है।

मॉनिटरिंग – उपयोजना प्रभावी क्रियान्विति के लिए राज्य स्तर पर माननीय मंत्री महोदय की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय दिशा – निर्देशन समिति का गठन किया गया है। जिसमें संबंधित विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव भी सदस्य हैं तथा योजना से संबंधित विभागों के विभागाध्यक्ष को विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया गया है तथा जिला स्तर पर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय दिशा–निर्देशन समिति गठित है जिसकी बैठक का आयोजन प्रतिमाह करने के निर्देश हैं। योजना की वर्ष 2012–13 से 2018–19 के वित्तीय प्रावधान, व्यय राशि एवं उनका प्रतिशत निम्न तालिका में दर्शाया गया है :–

NAME OF THE STATE - RAJASTHAN

Flow Scheduled Caste Sub Plan and Expenditure

राशि करोड़ों में

Year/ Plan	Budget Provision (B.E.)			Revised Provision (R.E.)			Expenditure			
	State Plan	Flow to SCSP	% of SCSP Flow	State Plan	Flow to SCSP	% of SCSP Flow	State Plan	SCSP	% Exp. of State Plan	% Exp. of State Plan Exp.
2012-13	33128.00	5689.61	17.17	37382.13	6286.64	16.82	32611.37	4935.50	13.20	15.13
2013-14	40139.00	6904.05	17.20	42498.81	7203.36	16.95	40040.05	5906.20	13.90	14.75
2014-15	69820.05	11693.76	16.75	66064.52	11244.10	17.02	55058.08	8399.90	12.71	15.25
2015-16	71405.78	12785.19	17.90	111784.03	20022.46	17.91	102370.46	17910.23	16.02	17.49
2016-17	99693.30	17840.00	17.89	95052.94	17654.183	18.00	88924.96	15410.91	16.21	17.33
2017-18	81157.97	14432.24	17.78	86094.45	14656.95	17.02	78057.60	13016.35	15.12	16.68
2018-19	107865.39	19149.67	17.75	105703.91	18672.30	17.66	100198.53	18407.80	17.41	18.40
2019-20	116735.96	20869.93	17.88				26729.62	5227.50	04.48	19.55

हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013

हाथ से मैला ढोने की कुप्रथा रोकने के लिए ''हाथ से मैला ढोने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013'' दिनांक 6 दिसम्बर 2013 से प्रभावी हो चका है। हाथ से मैला ढोने वाले कर्मियो के नियोजना का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013 के प्रावधानानुसार हाथ से मैला ढोने वाले कर्मियों से तात्पर्य है कि हाथ से मैला ढोने वाले कर्मियो के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013 के प्रारम्भ पर या इसके पश्चात किसी समय अस्वच्छ शौचालय/ खुली नाली/ गड्डे। ऐसे स्थान या परिसरों से जिनका केन्द्रीय या राज्य सरकार अधिसूचित करे। ऐसे स्थानों/ परिसरों से मलमूल को पूर्णतया विघटित होने से पूर्व हाथ से सफाई करने/ उसके निपटान में/ किसी रीति से उठाने के लिए किसी व्यक्ति/ स्थानीय प्राधिकारी/ अभिकरण/ ठेकेदार द्वारा किसी व्यक्ति को नियोजित किया जाता है तो वह कार्य हाथ से मैला उठाने की प्रकृति का है।

अगर उक्त कार्य ऐसे युक्तियों की सहायता से/ संरक्षात्मक साधनों के उपयोग से अस्वच्छ शौचालय/ खुली नाली/ गड्डो/ ऐसे स्थान या परिसरों से जिनको केन्द्रीय या राज्य सरकार अधिसूचित करे, के लिए लगाया जाता है तो वह व्यक्ति हाथ से मैला ढोने वाला कर्मी नहीं समझा जायेगा।

- इस एक्ट के लागो होने के पश्चात् किसी भी व्यक्ति को संरक्षात्मक साधनों और सुरक्षा युक्तियों के बिना सीवरेज/सेप्टी टैंक सफाई कार्य हेतु नहीं लगाया जा सकेगा। मैन हॉल/सेफ्टी टैंक की सफाई हेतु मशीनों का प्रयोग संरक्षात्मक साधनों के उपायों की सुनिश्चितता हेतु स्वायत्त शासन विभाग द्वारा सभी नगरीय निकायों को निर्देशित किया जा चुका है।
- विभागीय अधिसूचना क्रमांक 6708 दिनांक 3.11.2014 द्वारा हाथ से मैला ढोने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013 के प्रावधानों के उल्लंघन के विचार हेतु नगर निगम क्षेत्रों के लिए उपखण्ड मजिस्ट्रेट को प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ प्रदान की जा चुकी है।

- हाथ से मैला ढोने वाले कर्मियो के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम एक्ट 2013 की पालना हेतु राज्य स्तरीय सतर्कता समिति, जिला स्तरीय सतर्कता समितियों व उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समितियों का गठन किया जा चुका है।
- महानिदेशक पुलिस द्वारा भी आदेश जारी कर निर्देशित किया गया कि हाथ से मैला ढोने वाले कार्मिकों के नियोजन का प्रतिषेध एवं उनका पुनर्वास अधिनियम 2013 के अन्तर्गत ही एफ.आई.आर दर्ज कर आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।
- भारत सरकार के निर्देशानुसार 20 जिलों में मेन्युवल स्केन्जर्स सर्वे 2018 करवाया गया जिसमें केम्पों में प्राप्त आवेदन पत्र से 2590 मेन्युवल स्केवेन्जर्स को चिन्हित किया गया व इनका पुनर्वास हेतु राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग नई दिल्ली द्वारा 1690 मेन्युवल स्केवेन्जर्स को 40,000 रूपये एकमुश्त वित्तीय सहायता दी गई है।
- स्वच्छ भारत मिशन के तहत अस्वच्छकारी शौचालयों व शौचालय विहीन मकानों में सर्वे कर शौचालय निर्माण हेतु केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं नगरीय निकायों द्वारा प्रोत्साहन राशि दी जा रही है।
- उक्त अधिनियम की धारा 20(1) के अनुसरण में समस्त शहरी क्षेत्रों के लिए समस्त नगर निगम/ नगर परिषद/ नगर पालिका के स्वास्थ्य निरीक्षक तथा ग्रमीण क्षेत्रों के लिए सम्बन्धित ग्राम पंचायतों के ग्राम सेवक को निरीक्षक घोषित किया जा चुका है।
- पुलिस अधीक्षक (सिविल राईट) सी आई डी से प्राप्त सूचना अनुसार एम एस एक्ट 2013 के उल्लंघन के कोई अभियोग पंजीबद्ध नहीं हुये है।

गाड़िया लोहारों को भवन निर्माण हेतु अनुदान सहायता योजना

गाड़िया लोहारों को स्थायी रूप से बसाने हेतु राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में 150 वर्गगज एवं शहरी क्षेत्र में 50 वर्गगज भूखण्ड आवंटन करने का प्रावधान है। विभाग द्वारा गाड़िया लोहारों को मकान निर्माण हेतु देय अनुदान सहायता राशि रूपये 45000 को बढ़ाकर 70000 रूपये प्रति परिवार कर दिया है। यह राशि तीन किश्तों में क्रमशः 25000/–, 25000/– एवं 20000/– रूपये के रूप में दी जा रही है।

गाड़िया लोहारों को सामान क्रय हेतु अनुदान सहायता योजना

गाड़िया लोहारों को स्वावलम्बी बनाने हेतु उनके व्यवसाय के लिए कच्चा माल क्रय करने हेतु दी जाने वाली अनुदान सहायता राशि को 2500 रूपये से बढ़ाकर 5000 रूपये कर दिया गया है।

आवेदन कैसे करें

भवन निर्माण एवं कच्चा माल क्रय करने हेतु अनुदान सहायता राशि प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थी द्वारा विभागीय जिला कार्यालय एवं सामाजिक सुरक्षा अधिकारी कार्यालय में आवेदन करना होगा।

योजना की विस्तृत जानकारी एवं आवेदन पत्र www.sje.rajasthan.gov.in पर भी उपलब्ध है।

सामाजिक उत्थान एवं संरक्षण

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 यथासंशोधित 2015 का क्रियान्वयन

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 यथासंशोधित 2015 के अन्तर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों से छुआछूत करने, बेगार लेने, अपमान करने, शील भंग करने, शारीरिक क्षति पहुंचाने, उनको उनकी कृषि भूमि से बेदखल करने इत्यादि अपराधों के दोषी पाये जाने वाले सवर्ण व्यक्तियों को न्यूनतम 6 माह से उम्र कैद तक के कारावास से दण्डित किये जाने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त पीड़ित व्यक्ति के सामाजिक एवं आर्थिक पुनर्वास हेतु सहायता प्रदान करना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इस अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राजस्थान में अनुसूचित जाति/जनजाति के 25 विशेष न्यायालय संचालित हैं। राज्य के शेष जिलों में जिला सेशन न्यायाधीशों को इस अधिनियम के तहत विशिष्ट न्यायालय घोषित किया गया है। इन प्रकरणों को त्वरित गति से निपटाने के लिए विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति भी की गई हैं।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवाराण) नियम, 1995 के नियम 9 के अन्तर्गत राज्य सरकार के द्वारा शासन सचिव स्तर के अधिकारी को नोड़ल अधिकारी नियुक्त किया हुआ है एवं नियम 10 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट स्तर के अधिकारी को प्रत्येक जिले में विशेष अधिकारी नियुक्त किया हुआ है। अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 यथासंशोधित 2016 के नियम 16 के अन्तर्गत माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय सतर्कता एवं मॉनीटरी समिति एवं नियम 17 के अन्तर्गत जिला स्तर पर जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सतर्कता और मॉनीटरी समिति का गठन किया हुआ है।

अत्याचारों से पीड़ित अनुसूचित जाति/ जनजाति के व्यक्तियों को आर्थिक सहायता

अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों पर गैर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों द्वारा किये गये अत्याचार के अंतर्गत पीड़ित/आश्रित को तुरन्त राहत राशि जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 यथासंशोधित 2016 के नियम 12(4) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा प्रभावी दिनांक 14.04.2016 से संशोधित बढ़ी हुई दरों से राहत की राशि का भुगतान किया जा रहा है। अनुसूचित जाति/जनजाति के अत्याचार से पीड़ित आश्रितों तथा साक्षियों को यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता, भरण–पोषण व्यय और परिवहन सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

टेलीफोन हेल्पलाइन की स्थापना

सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 एवं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 यथासंशोधित अधिनियम 2015 के प्रकरणों पर त्वरित प्रभावी क्रियान्वयन हेतु पुलिस मुख्यालय, जयपुर में राज्य स्तरीय हैल्पलाइन हेतु टोल फ्री टेलीफोन संख्या 1800–180–6025 स्थापित किया गया है।

केश कला बोर्ड

राजस्थान में नाई समाज एवं केश कलाकारों के विभिन्न वर्गों की स्थिति का जायजा लेने, प्रामाणिक सर्वे रिपोर्ट के आधार पर केश कला कर्मियो की मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराने, इन वर्गों की पिछड़ेपन की दयनीय स्थिति को दूर करने के लिए सुझाव देने के उद्देश्य के लिए राज्य सरकार ने केश कला बोर्ड का गठन किया गया है।

उक्त बोर्ड में एक अध्यक्ष एवं 4 सदस्य होंगे। जिनका मनोनयन राज्य सरकार द्वारा किया जावेगा इनका कार्यालय 3 वर्ष को होगा।

डॉ. सविता बेन अम्बेडकर अन्तर्जातीय विवाह

अस्पृश्यता निवारण के एक प्रयास के रूप में सवर्ण हिन्दू तथा अनुसूचित जाति के बीच अन्तर्जातीय विवाह को बढ़ावा देने हेतु ''डॉ. सविता बेन अम्बेडकर अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना'' का संचालन किया जा रहा है। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति के युवक/युवतियों द्वारा सवर्ण हिन्दू जातियों के युवती/युवक से विवाह करने पर दम्पति को अन्तर्जातीय विवाह योजनान्तर्गत प्रति युगल 5.00 लाख रूपये (अक्षरे पाँच लाख रूपये मात्र) प्रोत्साहन राशि दिए जाने का प्रावधान है।

आवेदन कैसे करें

अन्तर्जातीय विवाह योजना में प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने के लिय अभ्यर्थी द्वारा विभागीय SJMS पोर्टल पर ऑन लाईन आवेदन करना होगा। योजना की विस्तृत जानकारी एवं आवेदन पत्र www.rajasthan.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।

राजस्थान राज्य विमुक्त घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु कल्याण बोर्ड

राज्य में विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु जातियों के परिवारों के शैक्षणिक, सामाजिक एवं आर्थिक विकास की दृष्टि से पिछड़े हुये है और सरकारी योजनाओं का समुचित लाभ नहीं उठा पा रहे है। अतः इन जातियों के समुदायों के कल्याण हेतु सर्वांगीण विकास एवं उत्थान संबंधी सुझाव देने एवं योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार ने राजस्थान राज्य विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु कल्याण बोर्ड का गठन किया गया।

उक्त बोर्ड में एक अध्यक्ष एवं 4 सदस्य होगें। जिनका मनोनयन राज्य सरकार द्वारा किया जावेगा इनका कार्याकाल 3 वर्ष का होगा।

राजस्थान राज्य पशुपालक कल्याण बोर्ड

राज्य में राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा राज्य सरकार को प्रस्तुत प्रतिवेदनों के आधार पर परम्परागत व्यवसाय व आजीविका के साधनों के अनुसार पिछड़े वर्गों/ जातियों के नाम, जिनका काम मवेशी पालना यथा उंट व भेड आदि पालन, दूध बेचना व ऊन विक्रय करना है, में रैबारी प्रमुख है। इनको पशुपालक के नाम से जाना जाता है। अधिकतर ये जातियां वर्ष में मवेशी सहित निष्क्रमण करती है। इन निष्क्रमण करने वाले अप्रवासी पशुपालकों एवं उनके परिवार के सर्वांगीण विकास एवं उत्थान संबंधी सिफारिशों हेतु राज्य सरकार ने राजस्थान राज्य पशुपालक कल्याण बोर्ड का गठन किया है।

इस बोर्ड में 8 गैर सरकारी सदस्य होंगे जिसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष एवं 6 सदस्य होंगे, जिनका मनोनयन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा। इनका कार्याकाल 3 वर्ष का होगा।

राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग

राज्य में अनुसूचित जातियों को दी जाने वाली सुविधाओं का उचित लाभ दिये जाने हेतु विचार करने के लिए राज्य सरकार ने राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया।

इस आयोग में 3 गैर सरकारी सदस्य होगें जिसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष एवं 1 सदस्य होगें, जिनका मनोनयन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा। इनका कार्याकाल 3 वर्ष का होगा।

अम्बेडकर पुरस्कार योजना

बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर जयन्ती पर विभाग की ओर से प्रतिवर्ष 14 अप्रैल को विभिन्न क्षेत्रों में अम्बेडकर पुरस्कार दिये जाने की घोषणा की गई थी। इसके अन्तर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के छात्र–छात्राओं को जिन्होंने कक्षा 10 एवं 12वीं की राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं में सर्वोच्च अंक प्राप्त किए हैं, को अम्बेडकर शिक्षा पुरस्कार स्वरूप 51–51 हजार रूपये नकद दिये जाते हैं।

अम्बेडकर सामाजिक सेवा, महिला कल्याण एवं न्याय पुरस्कार अम्बेडकर जयन्ती 14 अप्रेल के उपलक्ष्य में प्रदान किये जाते हैं। अम्बेडकर सामाजिक सेवा पुरस्कार अन्तर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को राष्ट्र की मुख्यधारा में लाने हेतु संघर्ष करने वाले व्यक्ति एवं सस्था को एक लाख रूपये नकद एवं प्रशस्ति पत्र , अम्बेडकर महिला कल्याण पुरस्कार अन्तर्गत महिला कल्याण के क्षेत्र में कार्य करने वाली संस्था महिला को 51,000 रुपये नकद एवं प्रशस्ति पत्र दिया जाता हैं। इसी प्रकार अम्बेडकर नयाय पुरस्कार अन्तर्गत अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के न्यायिक प्रकरणों में निःशुल्क अथवा न्यूनतम राशि से पैरवी करने वाले अधिवक्ता को 51,000 रुपये नकद एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किये जाते है।

अन्त्येष्टि अनुदान योजना

माननीय मुख्यमंत्री द्वारा बजट भाषण वर्ष 2017–18 में राज्य में अन्त्येष्टि अनुदान योजना आरम्भ करने की घोषणा की गयी। इस योजना में प्रदेश के किसी भी लावारिस व निराश्रित व्यक्ति की मृत्यु होने की स्थिति में मृतक का ससम्मान दाह संस्कार करवाने वाले स्वयंसेवी संस्था को इस हेतु 5 हजार रुपये की राशि दी जायेगी।

प्रत्येक जिला में निम्नानुसार जिला स्तरीय स्क्रीनिंग समिति का गठन किया जावेगा।

1. जिला कलक्टर का प्रतिनिधि (अतिरिक्त जिला कलक्टर या मुख्य कार्याकारी अधिकारी जिला परिषद) – अध्यक्ष
2. पुलिस अधीक्षक या प्रतिनिधि – सदस्य।
3. कोषाधिकारी या प्रतिनिधि (लेखाधिकारी/ सहायक लेखाधिकारी कोषालय) – सदस्य
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी या प्रतिनिधि – सदस्य
5. उपानिदेशक/सहायक निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग– सदस्य सचिव

स्क्रीनिंग समिति द्वारा प्रत्येक जिले में स्वयं सेवी संस्थओं का चयन किये जाने के बाद चयनित स्वयं सेवी संस्था द्वारा अपने क्षेत्र में किसी भी लावारिस व निराश्रित व्यक्ति की मृत्यु होने की स्थिति में दाह संस्कार (अन्त्येष्टि क्रिया) स्वयं के खर्च पर तत्काल करवाया जावेग। तत्पश्चात् संस्था द्वारा मांग, विभाग के जिला कार्यालयों में निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किये जाने पर विभाग द्वारा संस्था को राशि 5 हजार रूपये का पुनर्भरण किया जावेगा।

देवनारायण योजना

देवनारायण योजनान्तर्गत उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना

(क्रियान्वित करने वाला विभागः– सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के शैक्षणिक उत्थान हेतु संचालित उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अनुरूप वर्ष 2010–11 में राज्य में अति पिछड़ा वर्ग के कक्षा 11 से पीएचडी स्तर के विद्यार्थियों के शैक्षणिक उन्नयन हेतु उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना प्रारम्भ की गई।

योजना	देवनारायण योजनान्तर्गत उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति (POST MATRIC SCHOLARSHIP) योजना। 1. बंजारा, बालदिया, लबाना 2. गाड़िया–लोहार, गोडोलिया 3. गूजर, गुर्जर 4. राईका, रैबारी (देबासी) 5. गडरिया (गाडरी), गायरी के विद्यार्थियों के लिए
प्रारम्भ किये जाने का वित्तीय वर्ष	अप्रेल 2010 से प्रभावी
लाभ प्राप्त करने के लिए पात्रता	1. छात्र / छात्रा राजस्थान राज्य का मूल निवासी हो। 2. अति पिछड़ा वर्ग (1. बंजारा, बालदिया, लबाना 2. गाड़िया–लोहार, गाडोलिया 3. गूजर, गुर्जर 4. राईका, रैबारी (देबासी) 5. गडरिया (गाडरी), गायरी) के विद्यार्थियों के लिए उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु ओबीसी का जाति प्रमाण पत्र जिसमें उक्त जातियां अंकित हो, तहसीलदार या उच्च स्तर के राजस्व अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो। 3. आवेदक के माता–पिता / संरक्षक की समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय (अभ्यर्थी की स्वयं की आय को सम्मिलित करते हुए यदि है तो) 2,50,000 रूपये (शब्दों में दो लाख पचास हजार रूपये) तक हो। आय प्रमाण–पत्र के स्थान पर आय

	उद्घोषणा पत्र, शपथ पत्र तथा दो उत्तरदायी व्यक्तियों के साक्ष्य प्रमाण पत्र सहित मूल ही संलग्न करना है। नियोजित माता–पिता/संरक्षक होने की स्थिति में कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा जारी हो। 4. यह छात्रवृत्ति किसी राजकीय या मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था में मान्यता प्राप्त मैट्रिकोत्तर पाठ्यक्रमों (Post Matriculation or Post Secondary Courses) में अध्ययन हेतु देय होगी, लेकिन एयरक्राफ्ट मेन्टेनेंस इंजीनियर्स तथा प्राईवेट पायलट लाईसेंस पाठ्यक्रमों, प्रशिक्षण पोत डफरिन (वर्तमान में राजेन्द्रा) पर संचालित पाठ्यक्रमों, सैन्य महाविद्यालय देहरादून के प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों तथा अखिल भारतीय और राज्य स्तर के पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्रों पाठ्यक्रमों में यह छात्रवृत्ति नहीं दी जायेगी। 5. नियोजित छात्र/छात्रा जो पूरे पाठ्यक्रम के दौरान वेतन रहित छुट्टी लेकर पूर्ण कालिक छात्र/छात्रा के रूप में अध्ययन करता/करती है वह छात्रवृत्ति के लिए पात्र होगा। 6. एक ही माता–पिता/संरक्षक के सभी बच्चे इस योजना से लाभान्वित होने के पात्र होंगे। 7. इस योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्ति लेने वाले छात्र कोई अन्य छात्रवृत्ति/वृत्तिका नहीं लेंगे, अगर किसी छात्र को कोई दूसरी छात्रवृत्ति/वृत्तिका मिलती है, तो दोनों में से किसी एक लाभकारी विकल्प को चुन सकता है, तथा इस सम्बन्ध में अपने संस्थान के अधिकारी के माध्यम से छात्रवृत्ति के स्वीकृतिकर्ता अधिकारी को अपने विकल्प चयन के बारे में सूचित करना होगा। दूसरी छात्रवृत्ति/वृत्तिका स्वीकार करने के दिन से इस योजना के अन्तर्गत मिलने वाली

<table>
<tr><td></td><td colspan="3">छात्रवृत्ति देय नहीं होगी। तथापि छात्र/छात्रा इस योजना के अन्तर्गत मिलने वाली छात्रवृत्ति के अतिरिक्त राज्य सरकार या अन्य स्त्रोतों से पुस्तकें, साधन (Equipment) क्रय, आवास एवं भोजन के व्यय हेतु अनुदान या तदर्थ वित्तीय सहायता के रूप में मदद स्वीकार कर सकता है।
8. आवेदन के साथ गत वर्ष की अंक तालिका/प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित (Self Attested) प्रति एवं फीस की मूल रसीद संलग्न हो।</td></tr>
<tr><td>लाभ प्राप्त करने के लिए पात्रता</td><td colspan="3">3. राजकीय महाविद्यालयों/राजकीय शिक्षण संस्थानों, निजी महाविद्यालयों/शिक्षण संस्थानों में नियमित अध्ययनरत विद्यार्थियों को विभागीय वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। संबंधित जिले के जिला अधिकारी सान्याअवि द्वारा छात्रवृत्ति स्वीकृत की जावेगी।
4. राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़े वर्ग के छात्र/छात्रा जो उक्त जातियों में शामिल हो जो अन्य राज्यों की राजकीय/मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में नियमित अध्ययनरत है, विभागीय वेबवसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। संबंधित जिले के जिला अधिकारी सान्याअवि द्वारा छात्रवृत्ति स्वीकृत की जावेगी।</td></tr>
<tr><td rowspan="4">मिलने वाली वित्तीय लाभ / सुविधाऐं</td><td colspan="3">1. निर्वाह/अनुरक्षण भत्ते की दर (प्रतिमाह)</td></tr>
<tr><td>पाठ्यक्रमों का समूहीकरण</td><td colspan="2">निर्वाह/अनुरक्षण भत्ते की दर (प्रतिमाह)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">समूह "1"
1. चिकित्सा शास्त्र (एलोपैथिक, भारतीय तथा अन्य मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धतियों),</td><td>छात्रावासी
1200 रूपये</td><td>डे–स्कॉलर
550 रूपये</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td></tr>
</table>

	अभियान्त्रिकी, प्रौद्योगिकी, प्लानिंग, आर्चीटेक्चर, डिजाईन, फैशन टैक्नोलॉजी, कृषि, पशु–चिकित्सा एवं संबद्ध विज्ञानों, प्रबंधन, व्यावसायिक वित्त/ प्रशासन तथा कंप्यूटर विज्ञान/ अनुप्रयोग में डिग्री तथा स्नातकोत्तर स्तरीय (एम. फिल., पी.एच.डी. तथा पोस्ट डॉक्टोरल अनुसंधान को सम्मिलित करते हुए) पाठ्यक्रम। 2. वाणिज्यिक पायलेट लाइसेंस (हेलीकॉप्टर पायलट तथा मल्टी इंजिन रेटिंग सहित) पाठ्यक्रम। 3. मैनेजमेन्ट एण्ड मेडिशियन की विभिन्न ब्रांचों में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम। सीए/आईसीडब्ल्यूए/सीएस/ आईसीएफए इत्यादि 5. एम.फिल. पीएचडी. एण्ड पोस्ट डॉक्ट्रेरल प्रोग्रामस (डी.लिट., डी. एससी इत्यादि) (a) In existing Group 2 courses (b) In existing Group 3 courses 6. एल.एल.एम.	

	समूह "2" 1. स्नातक तथा स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट फार्मेसी (बी फार्मा), नर्सिंग (बी. एससी नर्सिंग), एलएलबी, बीएफएस अन्य पैरा मेडिकल ब्रांच जैसे रेहाब्लिाईजेशन डाईग्नोस्टिक आदि, मास कम्यूनिकेशन, हॉटल मैनेजमेन्ट एण्ड केटरिंग, ट्रेवल / ट्यूरिज्म / हॉस्पिटलिटी मैनेजमेन्ट, इंटिरियर डेकोरेशन, न्यूट्रेशन एण्ड डाईटेटिक्स, कॉमर्शियल आर्ट, वित्तीय सेवाऐं (जैसे बैंकिंग, बीमा, कर इत्यादि) जिन कोर्सों के लिए न्यूनतम प्रवेश योग्यता सीनियर सैकेण्डरी (10+2) है। 2. स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम जो समूह "1" में शामिल नहीं किये गये हैं जैसे एमए / एमएससी / एमकॉम / एमएड / एमफार्मा इत्यादि।	820 रूपये	530 रूपये
	समूह "3" सभी अन्य स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम जो समूह "1" और "2" में शामिल नहीं हैं। जैसे बी. ए./बी.एससी./ बीकॉम आदि।	570 रूपये	300 रूपये

	समूह "4" ग्रेजुएशन करने से पूर्व के सभी मैट्रिकोत्तर स्तरीय पाठ्यक्रम जिनमें प्रवेश योग्यता हाई स्कूल (कक्षा दस) है, जैसे सीनियर सैकेण्डरी सर्टिफिकेट (कक्षा 11 व 12) सामान्य और व्यावसायिक दोनों पाठ्यक्रम, आई.टी.आई. पाठ्यक्रम, पोलोटैक्निक में तीन वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम इत्यादि।	380 रूपये	230 रूपये
	2. फीस राशि का पुनर्भरण संस्था, विश्वविद्यालय/बोर्ड को अनिवार्य रूप से दिए जाने वाले नामांकन/पंजीकरण, शिक्षण, खेल, यूनियन, पुस्तकालय, पत्रिका, चिकित्सा, परीक्षण व इस तरह के अन्य अनिवार्य शुल्क, छात्रों को भुगतान किये जायेंगे। तथापि इसमें प्रतिदेय (Refundable) शुल्क जैसे कौशन मनी, शुल्क, सुरक्षा जमा (Secuirty Deposit) शुल्क को सम्मिलित नहीं किया जायेगा। नोट :— केन्द्र/राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित फीस संरचना के अनुसार मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों में निःशुल्क (Free) सीट व भुगतान (Paid) सीट पर लिये गये अनिवार्य अप्रतिदेय (Non-Refundable) शुल्कों का पुनर्भरण किया जावेगा तथापि भुगतान सीटों पर छात्रवृत्ति स्वीकृत करने से पूर्व आय का सत्यापन अनिवार्य रूप से किया जायेगा।		

	पात्र व्यक्तियों का कितने दिन में आर्थिक सहायता उपलब्ध हो जायेगी।	सामान्यतः सम्बन्धित वित्तीय वर्ष में।
	यदि निर्धारित समय में आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं होती है।	सम्बन्धित शिक्षण संस्था के प्राचार्य / जिलाधिकारी / मुख्यालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से सम्पर्क करें। प्रभारी अधिकारीः संयुक्त निदेशक (देव.यो.) फोन : 0141–2226643 ई–मेलः sjeraj_dev@yhaoo.in

देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजनाः- (क्रियान्वित करने वाला विभाग-उच्च शिक्षा विभाग)

(i) अति पिछडा वर्ग की छात्राओं हेतु स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना वित्तीय वर्ष 2011–12 से लागू की गई है।

(ii) राजस्थान मूल की अति पिछड़ा वर्ग (1. बंजारा, बालदिया, लबाना 2. गोड़िया–लोहार, गाडोलिया 3. गूजर, गुर्जर 4. राईका, रैबारी (देबासी) 5. गडरिया (गाडरी), गायरी) की वे छात्राऐं जिन्होंने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड / केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित 12वीं (सी.सै.) परीक्षा में पूर्णतया 50 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त किये हैं तथा राजस्थान स्थित राजकीय महाविद्यालयों, राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों में स्नातक डिग्री प्रथम वर्ष में प्रवेश लेकर नियमित अध्ययनरत हो, उनको 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण में प्राप्तांक प्रतिशत की वरीयता सूची अनुसार प्रतिवर्ष 1000 स्कूटी स्वीकृत कर निःशुल्क वितरित की जायेगी। प्रतिवर्ष 1000 के निर्धारित लक्ष्य के अलावा 1000वीं छात्रा के प्राप्तांक के समान कट ऑफ प्राप्तांक वाली

छात्राओं को भी स्कूटी स्वीकृत कर निःशुल्क वितरित की जायेगी। छात्रा के माता पिता/अभिभावक/संरक्षक/पति की वार्षिक आय 2.00 लाख रूपये से कम होनी चाहिए।

(iii) अति पिछड़ा वर्ग की छात्रायें जिनके माता–पिता/अभिभावक की वार्षिक आय 2.00 लाख रूपये से कम है एवं जो राजकीय महाविद्यालय, राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत है उनके द्वारा 12वीं (सीनियर सैकेण्डरी) (जो छात्रायें स्कूटी स्वीकृति की वरीयता सूची में नही आ पाती है उन्हें) स्नातक प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष एवं तृतीय वर्ष में पूर्णतया 50 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त किए हैं उन्हें क्रमशः प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष में 10,000/– रूपये वार्षिक तथा स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष (पी.जी. डिग्री प्रवेश वर्ष) में 20,000/– रूपये वार्षिक तथा स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष पूर्णतया 50 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त करने पर स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में 20,000/– रूपये वार्षिक बतौर प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

देवनारायण गुरूकुल योजना :- (क्रियान्वित करने वाला विभाग-माध्यमिक शिक्षा विभाग)

अति पिछड़ा वर्ग (1. बंजारा, बालदिया, लबाना, 2. गाड़िया–लोहार, गोडोलिया 3. गूजर, गुर्जर 4. राईका, रैबारी (देबरी) 5. गडरिया (गाडरी), गायरी). के प्रतिभावान छात्र–छात्राओं को प्रतिष्ठित विद्यालयों में प्रवेश दिलवाकर शिक्षा प्राप्त करने में सहयोग हेतु देवनारायण गुरूकुल योजना वर्तमान में चल रही ''उच्च प्रतिष्ठित विद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों हेतु पूर्व मैट्रिक विशेष छात्रवृत्ति योजना'' के अनुरूप वर्ष 2011–12 से आरम्भ की गई है। देवनारायण गुरूकुल योजनान्तर्गत प्रतिवर्ष 500 विद्यार्थियों को प्रवेश दिये जाने का प्रावधान है। आवेदन प्रतिवर्ष माध्यमिक शिक्षा बीकानेर द्वारा जारी की गई समय सारणी अनुसार किये जाते हैं।

(i) देवनारायण योजनान्तर्गत अति पिछड़ा वर्ग के (कक्षा 6 से 12 तक अध्ययन) छात्र–छात्रा जो राजस्थान के मूल निवासी हो।

(ii) छात्र–छात्रा (अन्य पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र जिसमें ये जातियां सम्मिलित हो) 1. बंजारा, बालदिया, लबाना 2. गाड़िया–लोहार, गाडोलिया 3. गुजर, गुर्जर 4. राईका, रैबारी (देबासी) 5. गडरिया (गाडरी), गायरी का हो।

(iii) छात्र–छात्रा राजकीय/मान्यता प्राप्त गैर राजकीय विद्यालयों में नियमित अध्ययनरत रहते हुए कक्षा 5 न्यूनतम सी ग्रेड से उत्तीर्ण की हो।

(iv) छात्र–छात्रा के माता–पिता आयकर दाता नहीं होने चाहिए।

(v) एक माता–पिता की अधिकतम दो संतानें ही प्रवेश एवं लाभ के लिए पात्र होगी।

पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना :-

अति पिछड़ा वर्ग (1. बंजारा, बालदिया, लबाना 2. गाड़िया–लोहार, गाडोलिया 3. गुजर, गुर्जर 4. राईका, रैबारी (देबासी) 5. गडरिया (गाडरी), गायरी) के छात्र–छात्रा कक्षा 6 से 10 तक में केंन्द्र सरकार/राज्य सरकार अथवा शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों की दी जा रही प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की तर्ज पर प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना वर्ष 2011–12 से आरम्भ की गई है।

कार्यकारी विभाग – स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा विभाग

लाभ प्राप्त करने के लिए पात्रता	1. छात्र राजस्थान राज्य का मूल निवासी हो। 2. अति पिछड़े वर्ग 1. बंजारा, बालदिया, लबाना 2. गाड़िया–लोहार, गाडोलिया 3. गुजर, गुर्जर 4. राईका, रैबारी (देबासी) 5. गडरिया (गाडरी), गायरी) के विद्यार्थियों के लिएपूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु अन्य पिछड़े वर्ग का जाति प्रमाण पत्र (जिसमें उक्त जातियां अंकित हों) तहसीलदार या उच्च स्तर के राजस्व अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो।

लाभ प्राप्त करने के लिए पात्रता	3. आवेदक के माता–पिता/संरक्षक की समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय (अभ्यार्थी की स्वयं की आय को सम्मिलित करते हुए यदि है तो) 2,00,000 रूपये (शब्दों में दो लाख रूपये) तक हो। आय प्रमाण–पत्र के स्थान पर आय उद्घोषणा पत्र, शपथ पत्र तथा दो उत्तरदायी व्यक्तियों के साक्ष्य प्रमाण–पत्र सहित मूल ही संलग्न करना है। नियोजित माता–पिता/संरक्षक होने की स्थिति में कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा जारी हो। 4. छात्र/छात्रा जिसे केन्द्रीय, राजकीय/सार्वजनिक स्त्रोत से अध्ययन हेतु किसी प्रकार की छात्रवृत्ति या भत्ता नहीं मिल रहा हो। 5. छात्र/छात्रा जो पिछली कक्षा में अनुत्तीर्ण नहीं रहा हो, यदि वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो उसकी छात्रवृत्ति रोक दी जावेगी। किन्तु यदि वह उसी कक्षा को आगामी परीक्षा में उत्तीर्ण कर लेता है तो छात्रवृत्ति पुनः चालू कर दी जावेगी। इस हेतु पुनः आवेदन करना होगा।
आवेदन कहां किया जावेगा	सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक को
आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज	1. आय प्रमाण–पत्र के स्थान पर आय उद्घोषणा पत्र, शपथ पत्र तथा दो उत्तरदायी व्यक्तियों के साक्ष्य प्रमाण पत्र सहित मूल ही संलग्न करना है। नियोजित माता–पिता/संरक्षक होने की स्थिति में कार्यालयाध्यक्ष/ विभागाध्यक्ष द्वारा जारी हो। 2. जाति प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित (Self Attested) छाया प्रति। 3. परीक्षा की अंक तालिका की स्वप्रमाणित (Self Attested) छाया प्रति।

<table>
<tr><td>देय सुविधायें</td><td>पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत छात्रवृत्ति निम्नानुसार दर पर देय होगी :–
<table>
<tr><th>कक्षा</th><th>छात्र / छात्रा</th><th>प्रतिमाह देय राशि (दस माह के लिए)</th></tr>
<tr><td>6 से 8</td><td>छात्र</td><td>50 / – रूपये</td></tr>
<tr><td></td><td>छात्रा</td><td>100 / – रूपये</td></tr>
<tr><td>9 से 10</td><td>छात्र</td><td>60 / – रूपये</td></tr>
<tr><td></td><td>छात्रा</td><td>120 / – रूपये</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>यदि निर्धारित समय में आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं होती है।</td><td>प्रभारी अधिकारी :
छात्रवृत्ति एवं प्रोत्साहन प्रकोष्ठ
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
फोनः 0151–2528875
ई–मेल : commsecedu@yahoo.com
वेबसाइट : www.rajshiksha.gov.in</td></tr>
</table>

अनुप्रति योजना -

वर्ष 2010–11 से माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा अनुसार योजना आरम्भ की गई है। संशोधित अनुप्रति योजना नियम 2018 के अनुसार राजस्थान मूल के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग के बीपीएल एवं सामान्य वर्ग की बीपीएल श्रेणी तथा आर्थिक पिछड़ा वर्ग (सामान्य वर्ग) के अभ्यर्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिये संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित भारतीय सिविल सेवा परीक्षा, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (सीधी भर्ती) संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों को प्रोत्साहन राशि दिये जाने, आई.आई. टी., आई.आई.एम., राष्ट्रीय स्तर के योजनान्तर्गत सूचीबद्ध मेडिकल कॉलेज / राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान इत्यादि तथा राजस्थान सरकार के राजकीय इंजीनियरिंग / मेडिकल कॉलेज शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश होने पर प्रोत्साहन राशि दिये जाने हेतु योजना आरम्भ की गई है। योजना का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है :–

योजना	राजस्थान मूल के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग के बीपीएल एवं सामान्य वर्ग के बीपीएल श्रेणी तथा आर्थिक पिछड़ा वर्ग (सामान्य वर्ग) के अभ्यर्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित भारतीय सिविल सेवा परीक्षा, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (सीधी भर्ती) संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों को प्रोत्साहन राशि दिये जाने, आई.आई.टी., आई.आई.एम., राष्ट्रीय स्तर के योजनान्तर्गत सूचीबद्ध मेडिकल कॉलेज/राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान इत्यादि तथा राजस्थान सरकार के राजकीय इंजीनियरिंग/मेडिकल कॉलेज शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश होने पर प्रोत्साहन राशि दिये जाने हेतु योजना।
योजना प्रारम्भ वर्ष	अप्रेल 2010 से योजना आरम्भ की गई है। संशोधित अनुप्रति योजना नियम–2018 जारी किये गये हैं जो अप्रेल 2018 से प्रभावी है।
लाभ प्राप्त करने की पात्रता एवं शर्तें	1. प्रार्थी राजस्थान राज्य का मूल निवासी हो। (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित (Self Attested) छायाप्रति संलग्न करनी होगी) 2. अभ्यर्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग के बीपीएल (स्टेट बीपीएल सहित) एवं सामान्य वर्ग के बीपीएल (स्टेट बीपीएल सहित) श्रेणी का सदस्य हो। (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित (Self Attested) छाया प्रति संलग्न करनी होगी) 3. अन्तिम परीक्षा में 85 प्रतिशत अंक अर्जित करने वाले ऐसे अभ्यर्थी जो आर्थिक पिछड़ा वर्ग (सामान्य वर्ग) के सदस्य हैं वे भी योजना हेतु पात्र होंगे।

4. अनुसूचित जाति, जनजाति, विशेष समूह (पूर्व में विशेष पिछड़ा वर्ग) एवं आर्थिक पिछड़ा वर्ग (सामान्य वर्ग) के अभ्यर्थी के माता–पिता/अभिभावक की अधिकतम आय (अभ्यर्थी की आय को सम्मिलित करते हुएयदि है तो) 2.50 लाख रूपये (दो लाख पचास हजार रूपये) वार्षिक से अधिक न हो। आय प्रमाण–पत्र के स्थान पर आय उद्‌घोषणा पत्र, शपथ पत्र तथा दो उत्तरदायी व्यक्तियों के साक्ष्य प्रमाण पत्र सहित मूल ही संलग्न करना है। यदि अभ्यर्थी के माता–पिता/अभिभावक राजकीय/बोर्ड /निगम/निजी सेवा में सेवारत/कार्यरत वेतनभोगी है तो विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष/नियोक्ता द्वारा जारी किया गया आय प्रमाण पत्र मान्य होगां

5. अभ्यर्थी द्वारा प्रतियोगी परीक्षा का निर्धारित चरण उत्तीर्ण कर लिया गया हो।

6. अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण कर सूचीबद्ध शिक्षण संस्थानों में प्रवेश ले लिया हो।

7. आर्थिक पिछड़ा वर्ग (सामान्य वर्ग) के अभ्यर्थी द्वारा योजनान्तर्गत प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने हेतु गत परीक्षा (अन्तिम परीक्षा) में 85 प्रतिशत अंक होने का प्रमाण–पत्र/अंकतालिकाे।

8. सिविल सेवा परीक्षा तथा राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने पर प्रथम एवं द्वितीय बार सफलता प्राप्त करने पर उल्लेखित राशि की 100 प्रतिशत राशि देय होगी। तृतीय बार बार 50 प्रतिशत राशि की देय होगी। उसके बाद कोई सहायता नहीं दी जाएगी।

9. यदि अभ्यर्थी भारतीय सिविल सेवा परीक्षा व राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (सीधी भर्ती) संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा में

	एक ही वित्तीय वर्ष में दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण होता है और राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (सीधी भर्ती) परीक्षा के चरणों में उत्तीर्ण होकर प्रोत्साहन राशि प्राप्त कर लेता है एवं उसके उपरांत भारतीय सिविल सेवा परीक्षा के चरणों में उत्तीर्ण होता है तो अभ्यर्थी को पहले दी गई राशि में से अंतर राशि दी जायेगी। 10. जो अभ्यर्थी पूर्व से ही राजकीय सेवा में कार्यरत हैं, उन्हें इस योजना में राजस्थान लोक से आयोग द्वारा आयोजित राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (सीधी भर्ती) संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा हेतु लाभ नहीं दिया जाएगा। 11. सूचीबद्ध शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश लेने के पश्चात् ही प्रोत्साहन राशि देय होगी। 12. यदि आईआईटी में किसी छात्र का प्रिपेटरी कोर्स में प्रवेश होता है तो उसे प्रिपेटरी कोर्स उत्तीर्ण करने के पश्चात् स्नातक पाठ्यक्रम में प्रथम वर्ष में प्रवेश होने पर ही प्रोत्साहन राशि देय होगी।
आवेदन की समय सीमा	1. अभ्यर्थी द्वारा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के उत्तीर्ण होने/शिक्षण संस्थानों में प्रवेश लेने के छः माह की अवधि में आवेदन पत्र सम्बन्धित जिले (अभ्यर्थी का गृह जिला) के जिलाधिकारी को ऑनलाईन किया जाएगा।
अनुदान सहायता	**(अ)संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा हेतु :–** संघ लोक सेवा द्वारा आयोजित अखिल भारतीय सिविल सेवा परीक्षा के विभिन्न स्तरों पर सफल होने वाले विशेष समूह (पूर्व में विशेष पिछड़े वर्ग) के निम्न प्रकार से प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की जायेगी।

(1) प्रारम्भिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर रूपये 65,000/–

(2) मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर रूपये 30,000/–

(3) साक्षात्कार में उत्तीर्ण (अन्तिम रूप से चयन) होने पर रूपये 5,000/–

अभ्यर्थी के प्रार्थना पत्र में अंकित बैंक खाते के माध्यम से भुगतान किया जायेगा।

(ब) राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोंजित राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (सीधी भर्ती) संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा हेतु :–

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (सीधी भर्ती) संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के विभिन्न स्तरों पर सफल होने वाले विशेष समूह (पूर्व में विशेष पिछड़े वर्ग) के अभ्यर्थियों को निम्न प्रकार से प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की जायेगी।

(1) प्रारम्भिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर रूपये 25,000/–

(2) मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर रूपये 20,000/–

(3) साक्षात्कार में उत्तीर्ण (अन्तिम रूप से चयन) होने पर रूपये 5,000/–

अभ्यर्थी के प्रार्थना पत्र में अंकित बैंक खाते के माध्यम से भुगतान किया जायेगा।

(स)प्रोफेशनल/तकनीकी पाठ्यक्रमों में राष्ट्रीय स्तर के शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु :–

संस्थान का नाम	प्रवेश परीक्षा का विवरण	पाठ्यक्रम का नाम जिसमें प्रवेश लेने पर प्रोत्साहन राशि देय होगी	देय अनुदान की राशि
आई.आई.टी., आई.टी., बी.एच.यू., आई.एस.एम.	आई.आई.टी., जे.ई.ई.	बी.टेक. इंजीनियरिंग स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम जिनमें इस प्रवेश परीक्षा से प्रवेश हुआ है।	प्रवेश परीक्षा में सफल होने तथा संस्थान में प्रवेश लेने के उपरांत अभ्यर्थी को देय प्रोत्साहन की राशि 50,000/— रूपये
आई.आई.एम.	कैट	एमबीए (बिजनिस एडमिनिस्ट्रेशन में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम) अन्य	प्रवेश परीक्षा में सफल होने तथा संस्थान में प्रवेश लेने के उपरांत अभ्यर्थी को देय
आई.आई.एम.	कैट	स्नातकोत्तर प्रबंधन पाठ्यक्रम जिनमें इस प्रवेश परीक्षा से प्रवेश हुआ है।	प्रोत्साहन की राशि 50,000/— रूपये
ए.आई.आई.एम. एस. (एम्स)	एम्स में प्रवेश हेतु	एम.बी.बी.एस. निर्धारित प्रवेश परीक्षा	प्रवेश परीक्षा में सफल होने तथा संस्थान में प्रवेश लेने के उपरांत अभ्यर्थी को देय प्रोत्साहन की राशि 50,000/— रूपये
इण्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ साईन्स बेंगलोर	संस्थान में प्रवेश हेतु निर्धारित प्रवेश परीक्षा	बी.एस.	प्रवेश परीक्षा में सफल होने तथा संस्थान में प्रवेश लेने के उपरांत अभ्यर्थी को देय प्रोत्साहन की राशि 50,000/— रूपये

इण्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ साइन्स एजुकेशन एण्ड रिसर्च, इण्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइन्स एण्ड टेक्नोलोजी	संस्थान में प्रवेश हेतु निर्धारित प्रवेश परीक्षा	बी.एस.–एम.एस. बी–टेक	प्रवेश परीक्षा में सफल होने तथा संस्थान में प्रवेश लेने के उपरांत अभ्यर्थी को देय प्रोत्साहन की राशि 50,000/– रूपये
राष्ट्रीय स्तर के योजनान्तर्गत सूचीबद्ध मेडिकल कॉलेज	संस्थान में प्रवेश हेतु निर्धारित प्रवेश परीक्षा	एमबीबीएस	प्रवेश परीक्षा में सफल होने तथा संस्थान में प्रवेश लेने के उपरांत अभ्यर्थी को देय प्रोत्साहन की राशि 40,000/– रूपये
राष्ट्रीय स्तर के योजनान्तर्गत सूचीबद्ध प्रौद्योगिकी संस्थान (एन आई टी)	ए.आई.ई.ई.ई.	बी.टेक. (स्नातक डिग्री)	प्रवेश परीक्षा में सफल होने तथा संस्थान में प्रवेश लेने के उपरांत अभ्यर्थी को देय प्रोत्साहन की राशि 40,000/– रूपये
योजनान्तर्गत सूचीबद्ध नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी	क्लैट (CLAT)	विधि स्नातक	प्रवेश परीक्षा में सफल होने तथा संस्थान में प्रवेश लेने के उपरांत अभ्यर्थी को देय प्रोत्साहन की राशि 40,000/– रूपये

(द) राज्य के राजकीय इन्जीनियरिंग एवं राजकीय मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश हेतु :–

संस्थान का नाम	प्रवेश परीक्षा का विवरण	पाठ्यक्रम का नाम जिसमें प्रवेश लेने पर प्रोत्साहन राशि देय होगी	देय अनुदान की राशि
राज्य सरकार के स्वामित्व की सहकारी समिति द्वारा संचालित या राजकीय इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेज	प्रवेश परीक्षा जिसके माध्यम से प्रवेश हेतु अधिकृत किया गया है।	बी.टेक./बी.ई./ एम.बी.बी.एस.	राज्य के राजकीय इंजीनियरिंग एवं राजकीय मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश होने के उपरांत अभ्यर्थी को देय प्रोत्साहन की राशि 10,000/– रूपये

पात्र व्यक्ति को कितने दिन में आर्थिक सहायता उपलब्ध हो जायेगी	आवेदन करने की दिनांक से दो माह में।
यदि निर्धारित समय में आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं होती है।	निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से सम्पर्क करें। योजना प्रभारी : संयुक्त निदेशक (देव. यो.) फोन : 0141–2226643 ई–मेल : sjeraj_dev@yahoo.in

समाज संरक्षा की अन्य योजनाएं

नशामुक्ति कार्यक्रम

समाज के बढ़ते भौतिकवाद के फलस्वरूप नशे जैसी बुराइयों का प्रभाव शनैः शनैः बढ़ता जा रहा है। नशे की बढ़ती हुई आदत की रोकथाम करने तथा लोगों को नशे की आदत से मुक्ति दिलाने हेतु भारत सरकार की योजना को राजस्थान राज्य में वर्ष 1987 से संचालित किया जा रहा है।

भारत सरकार की योजना "scheme of assistance for prevention of alcoholism and substance (drugs) abuse and for social defence services को प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा संचालित कार्यक्रमों के मूल्यांकन तथा कार्यक्रमों के प्रस्तावों की जाँच कर प्रस्तावों को भारत सरकार को अनुदान स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जाता है।

स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों की जाँच विभागीय जिलाधिकारी से करवाये जाने का प्रावधान है। राज्य स्तर पर प्राप्त प्रस्तावों की संविक्षा उपरान्त योग्य पाये जाने पर प्रस्तावों को राज्य स्तरीय अनुदान समिति के समक्ष रखा जाता है। राज्य स्तरीय अनुदान समिति के परीक्षण उपरान्त उपयुक्त पाये गये प्रस्ताव मय अभिशंषा भारत सरकार को अग्रेषित किये जाते हैं।

भारत सरकार द्वारा स्वयं सेवी संस्थाओं को कार्यक्रम संचालन हेतु 90 प्रतिशत अनुदान राशि उपलब्ध कराई जाती है, शेष 10 प्रतिशत राशि संबंधित स्वयंसेवी संस्था को वहन करनी होती हैं। विभाग द्वारा उक्त योजना के क्रियान्वयन में समन्वय का कार्य किया जाता है।

भारत सरकार की नशामुक्ति योजनान्तर्गत स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से संचालित नशामुक्ति केन्द्रों के प्रस्ताव। राज्य अनुदान समिति की अभिशंषा सहित विभाग द्वारा स्वीकृति हेतु भारत सरकार की अग्रेषित किये जाते हैं।

नवजीवन योजना

अवैध शराब के निर्माण, भण्डारण एवं विक्रय में लिप्त व्यक्तियों/समुदायों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास तथा पुनर्वास (यथा आजीविका के वैकल्पिक अवसर/संसाधन उपलब्ध कराना, अशिक्षा को दूर करना एवं उन्हें मूलभूत सुविधाएं प्रदान करना) हेतु नवजीवन योजना का संचालन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा किया जा रहा है।

इस योजनान्तर्गत ऐसे व्यक्ति/परिवार जो अवैध शराब के निर्माण भण्डारण एवं विक्रय में लिप्त हैं कंजर, सांसी, भाट, भाण्ड, नट, राणा, डोम, मोंगिया (मोंग्या), बावरिया, बेड़िया, बागरिया, सीरकीवाला, चौबदार एवं ढोली समुदायों के व्यक्ति तथा जिला कार्यकारी समिति द्वारा इस हेतु चिन्हित व्यक्ति/परिवारों व पुनर्वास के लिये विभिन्न वैकल्पिक आजीविका के साधन उपलब्ध कराकर लाभान्वित किया जाता है।

योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु माननीय मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय मॉनिटरिंग समिति तथा जिला कलक्टर की अध्यक्षता में जिला कार्यकारी समिति का गठन किया गया है।

परिवीक्षा सेवायें

अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 राज्य में जनवरी, 1962 से लागू किया गया। इस अधिनियम का उद्देश्य ऐसे अपराधियों को जो आजीवन कारावास, मृत्युदण्ड से संबंधित अपराधों में लिप्त न हों, को कारावास दण्ड की अपेक्षा न्यायालय द्वारा अच्छे आचरण रखने पर प्रतिभूति के आधार पर परिवीक्षा अधिकारी की देखरेख में छोड़ा जाता है। परिवीक्षा अधिकारी द्वारा ऐसे किशोरों का परिवीक्षण करते हुए उन्हें समाज की मुख्य धारा में पुनः स्थापित कराने हेतु मार्गदर्शक के रूप में कार्य किया जाता है।

कारागृह कल्याण सेवायें

पैरोल नियमानुसार, कारागृह में रह रहे बन्दियों को उनके अच्छे चाल–चलन, व्यवहार होने एवं परिवीक्षा अधिकारी द्वारा बन्दी के अच्छे चाल–चलन की रिपोर्ट प्राप्त होने पर बन्दी को नियमों में निर्धारित समय के लिए पैरोल पर रिहा किया जाता है। बन्दी की इस पैरोल अवधि के दौरान बन्दी, कल्याण अधिकारी की देखरेख में अपने परिवार के साथ रहते हैं।

परिवीक्षा एवं कारागृह कल्याण अधिकारी के मुख्य कर्त्तव्य एवं दायित्व कारागार में भ्रमण कर बंदियों की कारागार से बाहर की समस्याओं जैसे बच्चों की देखरेख एवं शिक्षा का प्रबन्ध, बन्दी की जमीन–जायदाद आदि की सुरक्षा की व्यवस्था, बन्दी के रूके। हुए अन्य क्लेमों को दिलवाने की व्यवस्था, बन्दियों की अपीलों की शीघ्र सुनवाई आदि व्यवस्था कराना है।

निदेशालय विशेष योग्यजन द्वारा संचालित योजनाओं का संक्षिप्त विवरण

निदेशालय विशेष योग्यजन द्वारा संचालित योजनाओं का संक्षिप्त विवरण

1.	योजना का नाम	**संयुक्त सहायता अनुदान योजना**
2.	योजना का संक्षिप्त परिचय	पात्र विशेष योग्यजनों, जिनका परिवार आयकर दाता नहीं है, को स्वरोजगार हेतु आर्थिक सहायता एवं शारीरिक कमी को पूर्ण करने के लिए 10000/– रूपये तक के कृत्रिम अंग/उपकरण उपलब्ध करवाये जाते हैं यथा ट्राईसाईकिल, बैसाखी, व्हीलचेयर, कैलीपर्स, श्रवण यंत्र, ब्लाइंड स्टिक, जयपुर फुट / शूज / पाम पैड इत्यादि
3.	प्रारम्भ होने का वर्ष	वर्ष 1986
4.	लाभान्वित वर्ग	40 या 40 प्रतिशत से अधिक विशेष योग्यजन
5.	पात्रता	1. प्रार्थी राजस्थान का मूल निवासी हो। 2. प्रार्थी को चिकित्सा अधिकारी मेडिकल बोर्ड द्वारा नि:शक्तता प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो, जो कि 40 प्रतिशत से कम का नहीं हो। 3. प्रार्थी जो किसी रोजगार में हो अथवा स्वरोजगार में लगा हुआ हो, उसके परिवार सहित समस्त

		स्त्रोतों से प्राप्त आय के आधार पर आयकर दाता नहीं हो।
6.	देय सुविधाएं	कृत्रिम अंगों एवं उपकरणों के लिए अधिकतम राशि 10,000 रूपये तक की सहायता दी जाती हैं
7.	आवेदन पत्र	जिलाअधिकारी के कार्यालय से प्राप्त करें
8.	आवेदन का तरीका	संबंधित जिले के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के कार्यालय में आवेदन वांछित दस्तावेज सहित करना होगा।
9.	आवेदन कहां किया जावें	संबंधित जिले के जिलाधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिला कार्यालय में।
10.	आवेदन के साथ औपचारिकताएं	• नि:शक्तता प्रमाण–पत्र। • आय प्रमाण–पत्र। • जन्म प्रमाण–पत्र। • आय का शपथ पत्र • पहचान प्रमाण–पत्र इत्यादि वांछित दस्तावेज
11.	सम्पर्क सूत्र	सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिला कार्यालय में।

1.	योजना का नाम	**विशेष योग्यजन छात्रवृत्ति योजना**
2.	योजना का संक्षिप्त परिचय	राजकीय एवं मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के नियमित अध्ययनरत विशेष योग्यजन छात्र/छात्राएं, जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.00 लाख रूपये से अधिक न हो। ऐसे परिवार के विशेष योग्यजन विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति व सामान्य व अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के विशेष योग्यजन विद्यार्थियों को नियमानुसार फीस पुनर्भरण की सुविधा दी जा रही है।
3.	प्रारम्भ होने का वर्ष	वर्ष 1981
4.	लाभान्वित वर्ग	40 या 40 प्रतिशत से अधिक विशेष योग्यजन विद्यार्थीगण
5.	पात्रता	1. छात्र/छात्रा राजकीय / मान्यता प्राप्त विद्यालय में नियमित रूप से अध्ययनरत हो। 2. छात्र/छात्रा के अभिभावक / संरक्षक की वार्षिक आय 2.00 लाख रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। 3. छात्र/छात्रा पूर्व में अन्य किसी प्रकार की छात्रवृत्ति/भत्ता राज्य सरकार अथवा स्वयंसेवी संस्था/ट्रस्ट से प्राप्त नहीं कर रहा हो।

		4. छात्र/छात्रा गत वर्ष की कक्षा में उत्तीर्ण घोषित किया गया हो। 5. आवेदक के पास अधिकृत चिकित्सा अधिकारी/बोर्ड द्वारा जारी 40 प्रतिशत या अधिक का निःशक्ता का प्रमाण पत्र होना चाहिए। 6. प्रार्थी राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।
6.	देय सुविधाएं	कक्षा 1 से 4 तक 40 रूपये प्रतिमाह एवं कक्षा 5 से 8 तक 50 रूपये प्रतिमाह देय सामान्य व अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के विशेष योग्यजन विद्यार्थियों को नियमानुसार फीस पुनर्भरण की जाती हैं। कक्षा–9 के उच्चतर अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति के आवेदन भारत सरकार द्वारा ऑनलाईन पोर्टल https: //scholarships.gov.in/ पर आमंत्रित किये जाते है।
7.	आवेदन पत्र	जिलाधिकारी के कार्यालय से प्राप्त करें।
8.	आवेदन का तरीका	सम्बन्धित जिले के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के कार्यालय में आवेदन वांछित दस्तावेज सहित करना होगा।

9.	आवेदन कहां किया जावें	सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिला कार्यालय में।
10.	आवेदन के साथ औपचारिकताएं	• निःशक्तता प्रमाण–पत्र (अधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा) स्वनियोजित पिता/संरक्षक की आय हेतु शपथ पत्र अथवा नियोजित पिता/संरक्षक का नियोजक से प्राप्त आय प्रमाण पत्र। पिछले वर्ष की अंकतालिका की प्रमाणित प्रतियां
11.	सम्पर्क सूत्र	सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिला कार्यालय में।

1.	योजना का नाम	**मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना**
2.	योजना का संक्षिप्त परिचय	इस योजना के अन्तर्गत राज्य के ऐसे विशेष योग्यजनों को जिनकी स्वयं की एवं परिवार की वार्षिक आय 2.00 लाख रूपये तक है, स्वयं का स्वरोजगार प्रारम्भ करने के लिए 5.00 लाख रूपये तक की राशि ऋण के रूप में विभिन्न बैंकों के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाती है जिस पर ऋण राशि का 50 प्रतिशत या अधिकतम 50 हजार, जो भी दोनों में

		कम हो, रूपये अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है।
3.	प्रारम्भ होने का वर्ष	वर्ष 2013–14
4.	लाभान्वित वर्ग	40 या 40 प्रतिशत से अधिक विशेष योग्यजन
5.	पात्रता	1. भारत सरकार द्वारा लागू दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम (The Rights of Persons with Disabilities Act) 2016 के प्रावधानों के अनुसार विशेष योग्यजन होना चाहिये। जिसकी निःशक्तता का प्रतिशत 40 या अधिक होना चाहिए। 2. आवेदक राजस्थान का मूल निवासी हो। 3. आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष एवं अधिकतम 55 वर्ष हो। 4. आवेदन के परिवार की समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय 2.00 लाख रूपये से अधिक न हो। 5. आवेदन द्वारा पूर्व में कियोस्क अथवा अन्य किसी योजना में स्वरोजगार व्यवसाय योजना के अन्तर्गत सब्सिडी आदि का लाभ नहीं लिया गया हो।

		6. आवेदक पर किसी भी बैंक, सहकारी अथवा अर्द्ध सरकारी संस्था का अवधि पार ऋण बकाया नहीं हो। 7. आवेदक का निःशक्तता परिचय पत्र व पासबुक बनी हुई होनी चाहिये।
6.	देय सुविधाएं	स्वयं का स्वरोजगार प्रारम्भ करने के लिये 5.00 लाख रूपये तक की राशि ऋण के रूप में विभिन्न बैंकों के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाती है जिस पर ऋण राशि का 50 प्रतिशत या अधिकतम 50 हजार जो भी दोनों में कम हो रूपये अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है।
7.	आवेदन पत्र	जिलाधिकारी के कार्यालय से प्राप्त करें।
8.	आवेदन का तरीका	सम्बन्धित जिले के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के कार्यालय में आवेदन वांछित दस्तावेज सहित करना होगा।
9.	आवेदन कहां किया जावें	सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिला कार्यालय में।
10.	आवेदन के साथ औपचारिकताएं	जिला अधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा आवेदन

		प्राप्ति के एक माह में आवेदक की पात्रता की जांच की जाएगी। उसके बाद संबंधित बैंक को ऋण स्वीकृति हेतु आवेदन भिजवाया जायेगा बैंक द्वारा नियमानुसार ऋणी स्वीकृति के बाद अनुदान स्वीकृति कर सूचना आवेदक को भिजवा दी जाती है।
11.	सम्पर्क सूत्र	सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी, तथा ब्लॉक स्तर पर सामाजिक सुरक्षा अधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता के जिला कार्यालय में।

1.	योजना का नाम	**विशेष योग्यजन चिन्हिकरण योजना**
2.	योजना का संक्षिप्त परिचय	भारत सरकार द्वारा लागू दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम (The Right of Persons with Disabilities Act) 2016 के तहत 40 प्रतिशत एवं अधिक नि:शक्तताधारी विशेष योग्यजनों के सर्वे का कार्य किया जाता है एवं सर्वे के पश्चात 40 प्रतिशत या इससे अधिक नि:शक्तताधारी विशेष योग्यजनों को निशक्तता प्रमाण पत्र जारी किये जाते है एवं UDID Card जारी करवायें जाते हैं।
3.	प्रारम्भ होने का वर्ष	वर्ष 1986
4.	लाभान्वित वर्ग	40 या 40 प्रतिशत से अधिक विशेष योग्यजन

5.	पात्रता	प्रार्थी राजस्थान का मूल निवासी हो।
6.	देय सुविधाएं	पात्र विशेष योग्यजनों को निःशक्तता प्रमाण पत्र तथा UDID Card उपलब्ध करवाना।
7.	आवेदन पत्र	ऑनलाइन निकटवर्ती ई–मित्र केन्द्र से
8.	आवेदन का तरीका	ऑनलाइन निकटवर्ती ई–मित्र केन्द्र से वांछित दस्तावेजों सहित आवेदन करना होगा।
9.	आवेदन कहां किया जावें	ऑनलाइन निकटवर्ती ई–मित्र केन्द्र से
10.	आवेदन के साथ औपचारिकताएं	• पहचान प्रमाण–पत्र • मूल निवास प्रमाण पत्र इत्यादि।
11.	सम्पर्क सूत्र	सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी, तथा ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिला कार्यालय में।

1.	योजना का नाम	**विशेष योग्यजन पेंशनधारी को स्वयं का व्यवसाय आरंभ करने हेतु एक मुश्त राशि प्रदान करने की योजना**
2.	योजना का संक्षिप्त परिचय	पेंशनधारी विशेष योग्यजन व्यक्ति यदि स्वावलम्बी बनने के उद्देश्य से अपना व्यवसाय करना चाहें, तो उसे मासिक पेंशन बंद कर एक मुक्त 15,000/– की राशि प्रदान की जाती है।

3.	प्रारम्भ होने का वर्ष	वर्ष 2007–08
4.	लाभान्वित वर्ग	40 या 40 प्रतिशत से अधिक विशेष योग्यजन
5.	पात्रता	1. आवेदक कोष कार्यालय से विशेष योग्यजन पेंशनधारी व्यक्ति होना चाहिए। 2. आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिये। 3. आवेदन 40 या 40 प्रतिशत से अधिक विशेष योग्यजन हो।
6.	देय सुविधाएं	आवेदक को विशेष योग्यजन पेंशन के स्थान पर एक मुश्त रूपये 15,000/– का भुगतान किया जायेगा।
7.	आवेदन पत्र	जिलाधिकारी के कार्यालय से प्राप्त करें।
8.	आवेदन का तरीका	आवेदक जिला कार्यालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के कार्यालय में निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन करके अपना विकल्प प्रस्तुत करते हुए मय फोटो, पीपीओ एवं व्यवसाय का नाम अंकित करना होगा।
9.	आवेदन कहां किया जावें	सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिला कार्यालय में।

10.	आवेदन के साथ औपचारिकताएं	आवेदन जिला अधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को आवेदन करेगा। विभागीय अधिकारी द्वारा संबंधित पीपीओ को कोष कार्यालय में प्रस्तुत कर पीपीओ को रद्द करने के आदेश जारी होने के पश्चात् एक माह के भीतर आवेदक को एकमुश्त 15,000/– का भुगतान चैक/डीडी के द्वारा कोषाधिकारी के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा।
11.	सम्पर्क सूत्र	सम्बन्धित जिले के जिलाअधिकारी, तथा ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिला कार्यालय में।

1.	योजना का नाम	**विशेष योग्यजन अनुप्रति योजना**
2.	योजना का संक्षिप्त परिचय	राजस्थान राज्य के विशेष योग्यजनों को संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अखिल भारतीय सिविल सेवा परीक्षा एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (सीधी भर्ती) संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा की प्रारंभिक, मुख्य एवं साक्षात्कार में उत्तीर्ण (अंतिम रूप से चयन) होने वाले अभ्यर्थियों को प्रोत्साहन राशि दिये जाने, प्रोफेशनल, तकनीकी

		पाठ्यक्रमों (IIT, IIM, AIIMS आदि) में राष्ट्रीय स्तर के शिक्षण संस्थाओं को परीक्षा में सफल होने एवं संस्थान में प्रवेश लेने एवं राज्य के राजकीय इंजीनियरिंग एवं राजकीय मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश होने पर प्रोत्साहन राशि के रूप में अनुदान स्वीकृत किया जाता है।
3.	प्रारम्भ होने का वर्ष	2011–12, संशोधित वर्ष 2015
4.	लाभान्वित वर्ग	40 या 40 प्रतिशत से अधिक विशेष योग्यजन
5.	पात्रता	1. अभ्यर्थी राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना चाहिये। 2. अभ्यर्थी 40 या 40 प्रतिशत से अधिक विशेष योग्यजन हो। 3. विशेष योग्यजन (अभ्यर्थी की आय को सम्मिलित करते हुये यदि है तो) 2.50 लाख (दो लाख पचास हजार रूपये) से अधिक न हो। यदि अभ्यर्थी के माता–पिता / अभिभावक राजकीय सेवा में कार्यरत है तो विभागाध्यक्ष द्वारा जारी किया गया आय प्रमाण पत्र मान्य होगा। 4. अभ्यर्थी द्वारा प्रतियोगी परीक्षा का निर्धारित चरण उत्तीर्ण कर लिया गया हो।

		5. अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण कर सूचीबद्ध शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश ले लिया हो।
6.	देय सुविधाएं	विभिन्न स्तरों पर उत्तीर्ण होने एवं प्रवेश लेने पर रू. 5,000 से लेकर 65,000 तक अधिकतम 1 लाख रूपये की अनुदान राशि दी जाती है।
7.	आवेदन पत्र	जिलाधिकारी के कार्यालय से प्राप्त करें।
8.	आवेदन का तरीका	सम्बन्धित जिले के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के कार्यालय में आवेदन वांछित दस्तावेज सहित करना होगा।
9.	आवेदन कहां किया जावें	सम्बन्धित जिले के जिलाअधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिला कार्यालय में।
10.	आवेदन के साथ औपचारिकताएं	• निःशक्तता प्रमाण पत्र • आय प्रमाण पत्र • मूल निवास प्रमाण पत्र • आय का शपथ पत्र • उत्तीर्ण/अंतिम चयन एवं प्रवेश का दस्तावेज होने पर।
11.	सम्पर्क सूत्र	सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिला कार्यालय में।

1.	योजना का नाम	**आस्था योजना**
2.	योजना का संक्षिप्त परिचय	आस्था ऐसे परिवार जिनमें दो या दो अधिक व्यक्तियों के 40 प्रतिशत से अधिक विशेष योग्यजन होने पर, उन परिवारों को आस्था कार्ड जारी किय जाते है। जिससे इन परिवारों को बीपीएल के समकक्ष सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। वर्ष 2013–14 में आस्था कार्डधारी परिवारों को राज्य सरकार के सभी संबंधित विभागों द्वारा बीपीएल के लिये चलाई जा रही योजनाओं का लाभ प्राप्त होगा तथा आस्था कार्डधारियों के लिये बजट का प्रावधान सभी संबंधित विभाग अपनी विभागीय योजनाओं के साथ रखते हैं।
3.	प्रारम्भ होने का वर्ष	2004–05
4.	लाभान्वित वर्ग	वे परिवार जिनमें दो या दो से अधिक सदस्य 40 या 40 प्रतिशत से अधिक विशेष योग्यजन हो।
5.	पात्रता	ऐसे परिवार जिनमें दो या दो से अधिक सदस्य विशेष योग्यजन हो और उस परिवार की वार्षिक आय 1.20 लाख से अधिक नहीं हो।
6.	देय सुविधाएं	विशेष योग्यजन परिवारों को राज्य सरकार द्वारा बीपीएल परिवारों को दी जाने वाले सुविधाएं उपलब्ध

		कराई जायेगी यथा निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं, राशन सामग्री में रियायत, पेंशन विभाग की अन्य योजनाएं इत्यादि।
7.	आवेदन	परिवार में दो या दो से अधिक विशेश योग्यजन है। उनका आस्थाकार्ड Online जारी किया जा चुका है। जिसे वह सम्बन्धित जिला कार्यालय से प्राप्त कर सकता है।
8.	आवेदन का तरीका	सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के कार्यालय में आवेदन वांछित दस्तावेजों सहित करना होगा।
9.	आवेदन कहां किया जावें	सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिला कार्यालय में।
10.	आवेदन के साथ औपचारिकताएं	• राशन कार्ड की छाया प्रति। • विशेष योग्यजन सदस्यों के निःशक्तता प्रमाण–पत्रों की छायाप्रति। • आय का शपथ पत्र। • विशेष योग्यजन सदस्यों के निःशक्तता दर्शाता हुआ एक–एक फोटो। • मूल निवास प्रमाण पत्र ।
11.	सम्पर्क सूत्र	सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी, तथा ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिला कार्यालय में।

1.	योजना का नाम	**विशेष योग्यजन राज्य स्तरीय पुरस्कार योजना**
2.	योजना का संक्षिप्त परिचय	प्रतिवर्ष विभाग द्वारा अन्तर्राश्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस 3 दिसम्बर को उत्कृष्ट विशेष योग्यजनों एवं विशेष योग्यजनों के क्षेत्र में कार्यरत उत्कृष्ट व्यक्तियों एवं संस्थाओं को पुरस्कृत किया जाता है।
3.	प्रारम्भ होने का वर्ष	1984–85
4.	लाभान्वित वर्ग (श्रेणी)	विभिन्न 2 श्रेणी यथाः– • सर्वश्रेश्ठ विशेश योग्यजन व्यक्ति • विशेष योग्यजन के क्षेत्र में कार्य करने वाले सर्वश्रेश्ठ व्यक्ति, स्वयंसेवी संस्था, कार्यालय एजेसियो एवं अन्य।
5.	पात्रता	1. राज्य स्तरीय चयन समिति द्वारा चयन। 2. राजस्थान का मूल निवासी हो।
6.	देय सुविधाएं	व्यक्ति एवं संस्था को :– 1. कम से कम 10,000/– एवं अधिकतम 15,000/– रूपये तक नगद पुरस्कार प्रशस्ति प्रमाण–पत्र

		एवं मेमेन्टो। 2. राज्य स्तरीय चयन समिति के निर्णयानुसार। (सरकारी/अर्द्धसरकारी कार्यालयों को नकद राशि का भुगतान नहीं
7. .	आवेदन का तरीका	किया जावेगा।) विज्ञप्ति द्वारा आवेदन प्त्र आमंत्रित करने हेतु समाचार पत्रों में, विज्ञापन जारी किया जाता है तत्पश्चात् आवेदक अपने जिले के जिला अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से सम्पर्क कर निर्धारित श्रेणी एवं प्रारूप में जिलाअधिकारी को अपना आवेदन
8.	आवेदन कहां किया जावें	पत्र प्रस्तुत करेगा। सम्बन्धित जिले के जिलाअधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता
9.	आवेदन के साथ औपचारिकताएं	विभाग के जिला कार्यालय में। निर्धारित आवेदन पत्र विशेष योग्यजन कल्याण के क्षेत्र में किए गए उत्कृष्ट कार्यो का विवरण, आवश्यक प्रमाण पत्र तथा श्रेणी अनुसार
10.	सम्पर्क सूत्र	निःशक्तता दर्शाता फोटो। सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी,

1.	योजना का नाम	**पोलियो करैक्शन कैम्प**
2.	योजना का संक्षिप्त परिचय	पोलियोग्रस्त विशेष योग्यजनों के निःशुल्क पोलियों करैक्शन ऑपरेशन कर शारीरिक रूप से सक्षम बनाने हेतु स्वयंसेवी संस्थाओं को 5,000/— रूपये प्रति ऑपरेशन हेतु अनुदान स्वीकृत किया जाता है।
3.	प्रारम्भ होने का वर्ष	वर्ष 2000
4.	लाभान्वित वर्ग	पोलियो ग्रस्त विशेष योग्यजन
5.	पात्रता	राजस्थान राज्य का कोई भी पोलियोग्रस्त विशेश योग्यजन।
6.	देय सुविधाएं	प्रति व्यक्ति ऑपरेशन हेतु स्वयंसेवी संस्थाओं को रूपये 5,000/— चिकित्सक सहित समस्त सुविधाऐं उपलब्ध कराने पर राजकीय चिकित्सालय को 2000/— प्रति व्यक्ति ऑपरेशन हेतु।
7.	आवेदन का तरीका	शिविर स्थल पर पंजीकरण करावें तथा आयोजक के कार्यक्रमानुसार उपस्थित होना चाहिये।
8.	आवेदन कहां किया जावें	चिकित्सक दल द्वारा निरीक्षक करने पर पात्र पाये जाने पर शिविर स्थल पर अथवा चयनीत चिकित्सालयों में ऑपरेशन करा सकते हैं।
9.	आवेदन के साथ औपचारिकताएं	संबंधित शिविर आयोजन के यहां या चयनित चिकित्सालय में।

10.	सम्पर्क सूत्र	संबंधित शिविर स्थल आयोजक के यहां चिकित्सक दल द्वारा निरीक्षण करने पर पात्र पाये जाने पर शिविर स्थल पर अथवा चिकित्सालय में ऑपरेशन करा सकते हैं।
11.	आवेदन का तरीका	संबंधित जिले के जिलाधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिला कार्यालय मे।
1.	योजना का नाम	**विशेष योग्यजन खेलकूद योजना**
2.	योजना का संक्षिप्त परिचय	खेलकूद योजना का मुख्य उद्देश्य खेलकूद प्रतियोगिताओं के माध्यम से विशेष योग्यजनों की दक्षता एवं क्षमता में वृद्धि करना है ताकि विशेष योग्यजन समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकें।
3.	प्रारम्भ होने का वर्ष	1996 संशोधित वर्ष 2014
4.	लाभान्वित वर्ग	40 या 40 प्रतिशत से अधिक विशेष योग्यजन
5.	पात्रता	1. अभ्यर्थी राजस्थान राज्य का मूल निवासी हो। 2. अभ्यर्थी विशेष योग्यजन हो। 3. योजनान्तर्गत कोई भी विशेष योग्यजन खेलकूद/सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में रूचि रखता हो।

6.	देय सुविधाएं	जिला स्तर पर 75,000 संभाग स्तर पर 1,00,000 राज्य स्तर पर 1,25,000 का बजट संबंधित जिलाअधिकारी को आवंटित किया जायेगा।
7.	आवेदन पत्र	जिलाधिकारी के कार्यालय से प्राप्त करें।
8.	आवेदन का तरीका	सम्बन्धित जिले के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिला कार्यालय में आवेदन वांछित दस्तावेज सहित करना होगा।
9.	आवेदन कहां किया जावें	सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिला कार्यालय में।
10.	आवेदन के साथ औपचारिकताएं	निःशक्तता प्रमाण पत्र । मूल निवास प्रमाण पत्र ।
11.	सम्पर्क सूत्र	सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिला कार्यालय में।
1.	योजना का नाम	**विशेष योग्यजन के लिये स्वरोजगार एवं प्रशिक्षण योजना**
2.	योजना का संक्षिप्त परिचय	विशेष योग्यजन व्यक्तियों को अन्य व्यक्तियों की भांति शिक्षण–प्रशिक्षण दिलवाना, उनको समाज में समान अवसर प्रदान करना एवं जीवनयापन लिए उनका पुनर्वास करना।

3.	प्रारम्भ होने का वर्ष	वर्ष 2012–13
4.	लाभान्वित वर्ग	40 अथवा 40 प्रतिशत से अधिक विशेष योग्यजन।
5.	पात्रता	1. प्रार्थी राजस्थान राज्य का मूल निवासी हो। 2. प्रार्थी को चिकित्सा अधिकारी मेडिकल बोर्ड द्वारा निःशक्तता प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो। जो कि 40 प्रतिशत से कम का नहीं हो।
6.	देय सुविधाएं	स्वैच्छिक संस्थाओं को विभाग द्वारा स्वीकृत बजट का 90 प्रतिशत राशि अनुदान के रूप में दी जाती है।
7.	आवेदन पत्र	जिलाधिकारी के कार्यालय से प्राप्त करें।
8.	आवेदन का तरीका	सम्बन्धित जिले के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के कार्यालय में आवेदन वांछित दस्तावेजों सहित करना होगा।
9.	आवेदन कहां किया जावें	सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिला कार्यालय में।
10.	आवेदन के साथ औपचारिकताएं	• राशन कार्ड की छाया प्रति। • निःशक्तता प्रमाण–पत्रों की छायाप्रति।

		• आय का शपथ पत्र। • विशेष योग्यजन सदस्यों के निःशक्तता दर्शाता हुआ एक–एक फोटो। • मूल निवास प्रमाण पत्र
11.	सम्पर्क सूत्र	सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिला कार्यालय में।
1.	योजना का नाम	**विशेष योग्यजन सुखद दाम्पत्य जीवन योजना**
2.	योजना का संक्षिप्त परिचय	विशेष योग्यजन युवक/युवतियों को विवाहोपरान्त सुखद दाम्पत्य जीवन व्यतीत करने हेतु 50,000/– प्रति दम्पत्ति आर्थिक सहायक उपलबध करवाई जाती है। साथ ही विशेष योग्यजनों के परिचय सम्मेलन आयोजित करने वाली संस्था को आयोजन व्यय के रूप में रूपये 20,000/– स्वीकृत किये जाते है।
3.	प्रारम्भ होने का वर्ष	वर्ष 1997
4.	लाभान्वित वर्ग	40 अथवा 40 प्रतिशत से अधिक विशेष योग्यजन
5.	पात्रता	1. विशेष योग्यजन वर की आयु 21 वर्ष व वधू की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। 2. प्रार्थी के पास चिकित्सा अधिकारी

		मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी 40 प्रतिशत या अधिक का निःशक्त प्रमाण पत्र हो। 3. प्रार्थी राजस्थान का मूल निवासी हो। 4. संरक्षक/माता–पिता अथवा आवेदक स्वरोजगार में हो तो समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय 2,50,000 रूपये से अधिक न हो।
6.	देय सुविधाएं	प्रति दम्पत्ति राशि 50,000/– की अनुदान सहायक स्वीकृत की जाती है, दोनों के विशेष योग्यजन होने पर भी अनुदान राशि अधिकतम 50,000 रूपये ही देय होगी।
7.	आवेदन पत्र	जिलाधिकारी के कार्यालय से प्राप्त करें।
8.	आवेदन का तरीका	सम्बन्धित जिले के सामाजिक न्याय एवं अधिकारी विभाग कार्यालय में आवेदन वांछित दस्तावेजों सहित करना होगा।
9.	आवेदन कहां किया जावें	सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिला कार्यालय में।
10.	आवेदन के साथ औपचारिकताएं	● शादी का कार्ड ● निःशक्तता प्रमाण पत्र ● वर–वधू के माता–पिता का शपथ पत्र

		● आय का शपथ पत्र ● विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र ● पूर्व में अनुदान राशि प्राप्त नहीं करने का प्रमाण पत्र
11.	सम्पर्क सूत्र	सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी तथा ब्लॉक स्तर पर सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिला कार्यालय में।

निदेशालय द्वारा संचालित अन्य संक्षिप्त योजनाएं एवं कार्यक्रम

मानसिक विमंदितों हेतु पुनर्वास गृह (अनुदान) – राज्य में सभी जिला मुख्यालयों पर मानसिक विमंदित विशेष योग्यजनों के लिये मानसिक विमंदित पुनर्वास गृह स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से संचालन किया जा रहा है। संबंधित जिले के जिलाधिकारी एवं जिला कलेक्टर द्वारा नामित अधिकारी की संयुक्त अभिशंषा उपरान्त ही निदेशालय स्तर पर अनुदान स्वीकृत किया जा रहा है।

ब्याज अनुदान – मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार आवेदक द्वारा समय पर ऋण राशि का भुगतान करने पर ब्याज दर में 5 प्रतिश की छूट दिये जाने सम्बंधित नियम प्रक्रियाधीन है।

मूक बधिर एवं नेत्रहीनों के लिये आवासीय विद्यालय, अजमेर – अजमेर जिले के कोटड़ा क्षेत्र में निर्मित राजकीय भवन में स्वयं सेवी संस्था माँ माधुरी ब्रज वारिस सेवा सदन (अपना घर), भरतपुर का चयन कर 100 आवासीयों की क्षमता का संभाग स्तरीय मूक बधिर एवं नेत्रहीन आवासीय विद्यालय का संचालन किया जा रहा है।

मानसिक विमंदित महिला एवं बाल गृह भवन निर्माण जयपुर–जोधपुर – राज्य के लावारिस, बेसहारा मानसिक विमंदितों के पुनर्वास के उद्देश्य से राज्य के जयपुर, जोधपुर में 250–250 की क्षमता के मानसिक विमंदित, पुनर्वास गृहों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है एवं जयपुर में गृह का संचालन भी किया जा रहा है। आंगणवा, जोधपुर में नवनिर्मित मानसिक विमंदित पुनर्वास गृह का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों से दिनांक 26.01.2017 को किया गया। उक्त भवन में स्वयं सेवी संस्था के माध्यम से मानसिक विमंदित पुनर्वास गृह का संचालन किया जा रहा है।

राजस्थान पुनर्वास एवं शोध संस्थान हेतु भवन निर्माण – राज्य के विशेष योग्यजनों हेतु विशेष शिक्षक तैयार करने, विशेष योग्यजन कल्याणार्थ विभिन्न प्रकार के शिक्षण, प्रशिक्षण अनुसंधान एवं उच्च तकनीक के विभिन्न प्रकार के कृत्रिम अंग/ सहायक उपकरण तैयार करने के उद्देश्य से एक स्वायत्तशारी

निकाय के रूप में राजस्थान पुनर्वास एवं शोध संस्थान की स्थापना जामड़ोली, जयपुर में की जायेगी। उक्त संस्थान के भवन का निर्माण कार्य प्रक्रियाधीन है।

संभाग मुख्यालय पर मानसिक विमंदित पुनर्वास गृह का भवन का निर्माण – राज्य के लावारिस, बेसहारा मानसिक विमंदितों के पुनर्वास के उद्देश्य से 250 की क्षमता के जयपुर, जोधपुर के अलावा शेष 5 संभाग मुख्यालयों पर 100–100 की क्षमता के एवं अन्य सभी जिला मुख्यालायों में 50–50 की क्षमता के मानसिक विमंदित पुनर्वास गृहों का निर्माण कराया जाना है। अभी सभी जिलों में स्वयंसेवी संस्था के माध्यम से उपरोक्त गृह संचालित किये जा रहे है।

प्रत्येक जिले में नेत्रहीन, मूक बधिर एवं मानसिक विमंदितों हेतु विशेष विद्यालय – राज्य के प्रत्येक जिले में तीनों श्रेणी यथा– मूक बधिर, नेत्रहीन, एवं मानसिक विमंदित विशेष विद्यालय/आवासीय विद्यालयों का संचालन स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से किया जा रहा है। विशेष/आवासीय विद्यालयों को अनावर्तक मद में वर्ष 2018 में जारी आदेश के अनुसार अनुदान स्वीकृत किया जा रहा है।

कोढ़ पीड़ित – भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति, जयपुर द्वारा आमेर में 50 व्यक्तियों की क्षमता का कुष्ठ गृह का संचालन किया जा रहा है।

विशेष योग्यजनों का त्वरित विकास – उक्त योजनान्तर्गत पुस्तकालय एवं पत्र–पत्रिकाएं को मुद्रित करवाकर उक्त पुस्तकें, पत्र–पत्रिकाऐं विशेष योग्यजनों को उपलब्ध करवाई जाती है।

दृष्टि बाधितों के अध्यापकों को प्रशिक्षण – राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान, देहरादून एवं राज्य सरकार के सहयोग से दृष्टि बाधिक विद्यार्थियों के शिक्षण हेतु स्वयं सेवी संस्था श्री एल.के.सी. जगदम्बा अंध विद्यालय समिति, श्री गंगानगर द्वारा 2 वर्षीय प्रशिक्षण डिप्लोमा (दृष्टि बाधित) केन्द्र का संचालन किया जा रहा है।

शारीरिक तथा मानसिक पीड़ितों के क्षेत्र में कार्यकारी स्वैच्छिक अभिकरणों को सहायता – उक्त योजनान्तर्गत राज्य के जनजाति क्षेत्र के बांसवाड़ा जिले में

स्वयं सेवी संस्था मूक बधिर एवं मंदबुद्धि संस्थान, बांसवाड़ा द्वारा संचालित मूक बधिर एवं मंदबुद्धि विशेष विद्यालय को प्रति वर्ष अनुदान स्वीकृत किया जाता है।

पं. दीनदयाल उपाध्याय विशेष योग्यजन शिविर 2017 राज्य में विशेष योग्यजनों के सशक्तिकरण एवं कल्याण हेतु उन्हें चिन्हित करने का विशेष अभियान चलाकर उन्हें लाभान्वित करने का लक्ष्य।

भारत सरकार द्वारा लागू दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम (The Rights of Persons with Disabilities Act) 2016 के तहत निःशक्तता की श्रेणियां बढ़ाकर 21 करा दी गई है।

जनगणना 2011 के अनुसार विशेष योग्यजनों की संख्या 15 लाख से अधिक है जबकि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अन्तर्गत लगभग 4 लाख विशेष योग्यजनों को लाभान्वित किया जा रहा है।

उद्देश्य – उक्त अभियान के उद्देश्य निम्नानुसार है :–

- विशेष योग्यजनों का चिन्हीकरण (Identification) एवं पंजीयन (Registration) करना।
- विशेष योग्यजनों का निःशक्तता प्रमाण पत्र (Disability Certificate) जारी करना।
- विशेष योग्यजनों को कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण (Aids & Appliance) उपलब्ध करवाना।
- भारत सरकार की यूडीआईडी योजना अन्तर्गत यूडीआईडी कार्ड (Unique Disability ID Card) जारी करवाया जाना।
- पेंशन, बस/रेल पास, ऋण, पालनहार आदि योजनाओं से लाभान्वित करना।
- विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं का प्रचार–प्रसार करना एवं उनसे लाभान्वित करवाना।
- एक डाटा बैस तैयार कर ऑन लाईन रिकॉर्ड संधारित करना।

कार्य योजना – तीन चरण

1. चिन्हीकरण एवं पंजीयन 01 जून से 24 सितम्बर, 2017 तक एवं मार्च 2020 तक चलाया जायेगा। (ई–मित्र / राजीव गांधी सेवा केन्द्र)
2. निःशक्तता प्रमाणीकरण 25 सितम्बर से 12 दिसम्बर 2017 तक एवं मार्च 2020 तक चलाया जायेगा। (ब्लॉकवार कैम्प आयोजित कर)
3. कृत्रिम अंग / सहायक उपकरण वितरण शिविर 13 दिसम्बर 2017 से प्रारंभ हो चुका है जिसमें विशेष योग्यजनों को उनकी पात्रतानुसार कृत्रिम अंग / उपकरण वितरित किये जा रहे है। यह चरण 31 माच 2020 तक चलाया जायेगा। (जिला स्तर पर)

आयुक्तालय विशेष योग्यजन

निःशक्तजन अधिनियम 1995 की धारा 60 (1) के तहत विशेष योग्यजन आयुक्त को अपीलेट अथोरिटी घोषित किया हुआ है। दिनांक 19.04.2017 को निःशक्तजन अधिनियम 1995 के स्थान पर भारत सरकार द्वारा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम (The Rights of Persons with Disabilities Act 2016) प्रभावी किया गया है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 79(1) में राजस्थान राज्य में आयुक्त, विशेष योग्यजन की नियुक्ति का प्रावधान है।

1. राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ. पं. 16(1)(151) / 3301 दिनांक 25.01. 2016 द्वारा तीन वर्ष के लिये आयुक्त, विशेष योग्यजन को नियुक्त किया गया है। आयुक्त महोदय द्वारा गत तीन वर्षो के कार्यकाल में राज्य के सभी जिलों में जनसुनवाई कर विशेष योग्यजनों की जिला स्तर पर लम्बित समस्याओं का निष्पादन करवाया है।
2. राज्य आयुक्त की शक्तियां – दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में किये गये प्रावधानों की पालना करवाये जाने हेतु दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 82 के तहत आयुक्त विशेष योग्यजन को सिविल न्यायालय के समकक्ष शक्तियां प्राप्त है।

3. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के क्रियान्वयन के संबंध में मुख्य आयुक्त निःशक्तजन भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष वार्षिक रिपोर्ट तैयार कर लोकसभा के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु राज्य द्वारा वार्षिक रिपोर्ट भारत सरकार को प्रेषित की जाती है तथा मुख्य आयुक्त महोदय, भारत सरकार द्वारा आयेाजित राष्ट्रीय समीक्षा बैठक में आयुक्त महोदय द्वारा राज्य में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के राज्य में क्रियान्वयन के संबंध में प्रस्तुतीकरण किया जाता है। इस हेतु राजस्थान राज्य के समस्त विभागाध्यक्ष से दिव्यांगजन अधिनियम, 2016 के क्रियान्वयन के संबंध में रिपोर्ट ली जाकर पालन हेतु निर्देशित किया जाता है। आयुक्त महोदय द्वारा वर्ष 2018 में राष्ट्रीय समीक्षा बैठक में भाग लेकर राजस्थान राज्य का प्रतिनिधित्व किया गया।

मानसिक विमंदित महिला एवं बाल कल्याण पुनर्वास गृह जामडोली, जयपुर–

राज्य में मानसिक विमंदित महिला एवं बालक कल्याण पुनर्वास गृह की स्थापना वर्ष 1983 में की गई। राज्य के लावारिस, बेसहारा मानसिक विमंदितों के पुनर्वास के उद्देश्य से गृह का संचालन जामडोली जयपुर में दिनांक 19.07.2015 से किया गया है। यह राज्य सरकार का एक मात्र गृह है, जिसका संचालन राज्य सरकार द्वारा नियमित अधिकारी/कर्मचारी एवं संवेदकों की देखरेख में किया जा रहा है। आवासियों हेतु महिला एवं पुरूष विंग अलग–अलग है। वर्तमान में मानसिक विमंदित गृह, जामडोली के माईल्ड एवं मोड़रेअ बालक/बालिकाओं के लिए शिक्षण प्रशिक्षण हेतु विशेष विद्यालय का 30.08.2017 से संचालन किया जा रहा है तथा प्रोफाउण्ड एवं सिवियर श्रेणी की बालिकाओं के लिये 02.10.2017 से परिसर में अलग भवन में रखने हेतु व्यवस्था की गई है।

इस गृह में मानसिक मंदबुद्धि बालक/बालिकाओं का प्रवेश बाल कल्याण समिति व न्यायिक अधिकारियों द्वारा दिया जाता है। संस्था में आवासित बालक/बालिकाओं को आवास, वस्त्र, भोजन एवं अन्य व्यय, चिकित्सा एवं दवाईयां, शिक्षा आदि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है। वर्तमान में बालक विंग 124 एवं महिला विंग 177 आवासी निवास कर रहे है।

जिला पुनर्वास केन्द्र कोटा – जिला पुनर्वास केन्द्र योजना विशेष योग्यजन व्यक्तियों के सर्वांगीण विकास व पुनर्वास के उद्देश्य से सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में कल्याण मन्त्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा लागू की गई थी। राजस्थान में जिला पुनर्वास केन्द्र योजना अन्तर्गत स्थापित एक मात्र केन्द्र कोटा है जो वर्तमान में महाराव भीमसिंह चिकित्सालय परिसर में विशेष निर्मित भवन में संचालित है एवं वर्ष 1987 से राजस्थान सरकार के निदेशालय विशेष योग्यजन के प्रशासनिक नियन्त्रण में कार्यरत है। जिला पुनर्वास केन्द्र कोटा द्वारा अस्थि, दृष्टि, श्रवण एवं वाणी दोष विशेष योग्यजन की जांच कर उन्हें आवश्कतानुसार पुनर्वास सेवायें उपलब्ध कराई जाती है। वर्ष 2006 से राज्य सरकार द्वारा आवंटित बजट मद से जिला पुनर्वास केन्द्र की गतिविधि संचालित की जा रही है –

1. **योजना के उद्देश्य** –

(1) विशेष योग्यजन को क्रियाशील बनाकर स्वरोजगार व सर्वांगीण पुनर्वास के लिये कृत्रिम अंग उपकरण उपलब्ध कराये जाते है।

(2) विशेष योग्यजन का सक्षम बनाने के लिये भौथ्तक चिकित्सा, वाणी चिकित्सा, व्यावसायिक चिकित्सा उपलब्ध करवाना एवं उन्हें व्यावसायिक परामर्श देना।

(3) विशेष योग्यजन को बस पास, रेल पास निःशक्तता प्रमाण पत्र, रोजगार हेतु पंजीकरण इत्यादि से लाभान्वित करवाना।

(4) विशेष योग्यजन को स्वावलम्बन बनाने के दृष्टि से अंग उपकरण दिये जाने के साथ–साथ विशेष प्रशिक्षण एवं विभिन्न विभागीय योजनाओं से लाभान्वित करवाना।

2. **कार्यशाला** – केन्द्र की कार्यशाला में अस्थि विशेष योग्यजन के लिए कैलीपर्स, बैसाखी, मोडिफाईड शूज, ब्लाइण्ड स्टीक, ट्राईसाईकिल, व्हील चेयर, नीपैड, पामपैड इत्यादि उपकरण आवश्यकतानुसार निःशुल्क उपलब्ध कराये जाते है एवं उनकी मरम्मत हेतु भी निःशुल्क नियमित रूप से कार्यशाला संचालित है।

3. **जिला पुनर्वास** – केन्द्र पर फिजियोथैरेपी, ओक्यूपेशनल थैरेपी,

स्पीचथैरेपी, इलेक्ट्रोथैरेपी इत्यादि की सेवायें दी जाती है। साथ ही उन्हें आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बनाने की दृष्टि से राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं हेतु वित्तयी सलाहकार द्वारा सेवायें भी प्रदान की जाती है।

4. **ओडियोमेट्री सुविधा** – जिला पुनर्वास केन्द्र कोटा में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में बधिर विशेष योग्यजन के लिए कान की जाँच (ओडियोमेट्री) निःशुल्क कराई जाती है एवं नियमानुसार श्रवण यंत्र की सुविधा भी निःशुल्क प्रदान की जाती है।

5. **नियमित विशेष शिविर का आयोजन** – एम.बी.एस. चिकित्सालय कोटा में जिला पुनर्वास केन्द्र के सहयोग से प्रत्येक सोमवार को विशेष शिविर का आयोजन किया जाता है, जिसमें विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा मौके पर ही निःशक्तता प्रमाण पत्र तथा रेलपास, बसपास एवं रोजगार पंजीकरण भी किया जाता है।

मानसिक विमंदित विशेष योग्यजनों के शिक्षण–प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण केन्द्र – सभी प्रकार की दिव्यांगताओं में से मानसिक मंदता अर्थात बौद्धिक निःशक्तता अन्य प्रकार की निःशक्तताओं की तुलना में अधिक चुनौतीपूर्ण है। मानसिक मंदता के क्षत्र में छात्र–छात्राओं के शिक्षण एवं प्रशिक्षण कार्य का वर्ष 1993–94 में राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकन्दराबाद (वर्तमान में तेलंगाना राज्य) के द्वारा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से प्रारम्भ किया गया जिसके अन्तर्गत विशेष शिक्षक, विशेष शिक्षा केन्द्र में सामान्य विद्यालय में विशेष कक्षा तथा समेकित शिक्षा योजना के अन्तर्गत कार्य कर सकें। संस्थान का मूल उद्देश्य मानसिक मंदता के क्षेत्र में मानव संसाधन विकसित करना हे। वर्तमान में मानसिक शिक्षक प्रशिक्षण केन्द्र को भारतीय पुनर्वास परिषद नई दिल्ली, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2019–20 तक 2 वर्षीय विशेष शिक्षा पाठ्यक्रम (मानसिक मंदता) संचालन की अनुमति प्रदान की गई है।

बाल अधिकारिता विभाग

बाल अधिकारिता विभाग

बाल अधिकारिता विभाग द्वारा निम्नलिखित नीतियां / अधिनियमों / योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है –

नीतियां

- राष्ट्रीय बाल नीति, 2013
- राज्य बाल नीति, 2008
- राजस्थान बालिका नीति, 2013

अधिनियम

- किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015
- लैगिंक अपराधों से बालकों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, 2012
- बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005

योजनाएं

- समेकित बाल संरक्षण योजना (Integrated Child Protection Scheme)
- राजस्थान पालन–पोषण (फोस्टर केयर) नियम, 2014
- प्रोजेक्ट असिस्ट
- प्रोत्साहन योजना
- पहल योजना
- राजीव गांधी राष्ट्रीय शिशु पालनागृह योजना (क्रेच स्कीम)

1. **किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 का क्रियान्वयन** :– किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 एवं किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) आदर्श नियम, 2016 के अन्तर्गत निम्न गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है :–

2. **सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह (Observation and Children Home)** : अधिनियम की धारा 47 के अन्तर्गत विधि के साथ संघर्षरत

बालक/बालिकाओं एवं धारा 50 के अन्तर्गत देखभाल व संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक/बालिकाओं हेतु जिला स्तर पर पृथक–पृथक सम्प्रेक्षण गृह एवं किशोर गृह संचालित करने के प्रावधान किये गये है।

वर्तमान में राज्य के सभी 33 जिलों में राजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह संचालित है तथा संभाग मुख्यालय पर 07 बालिका गृह संचालित किए जा रहे है। उक्त गृहों में आवासीय बालक/बालिकाओं के लिए निःशुल्क भोजन, वस्त्र, चिकित्सा, शिक्षण प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की जाती है। राज्य सरकार द्वारा इन गृहों के प्रभावी संचालन के लिए कुल 383 पद स्वीकृत किये गये हैं जिनमें से 214 पद रिक्त है।

3. **विशेष गृह (Special Home)** : अधिनियम की धारा 48 अन्तर्गत विधि के साथ संघर्षरत बच्चों को दोष सिद्ध होने पर 21 वर्ष की आयु तक रखने हेतु राज्य के 14 राजकीय सम्प्रेक्षण गृह को ही विशेष गृह के रूप में अधिकृत किया गया है।

4. **सुरक्षित स्थान (Place of Safety)** : किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 41 एवं किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम, 2016 के नियम 13 की पालना में भीलवाड़ा, भरतपुर, जयपुर व बीकानेर जिलों के राजकीय सम्प्रेक्षण गृहों में सुरक्षित स्थान की स्थापना की गयी है।

5. **स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से संचालित गृह** : गैर राजकीय स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से निम्न प्रकार के कुल 160 बालगृहं एवं खुला आश्रय का संचालन किया जा रहा है।

- **बालगृह** – देखभाल व संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक/बालिकाओं के लिए दीर्घकालिक पुनर्वासिक सेवाऐं उपलब्ध कराने के लिए जिलो में कुल 128 बालगृहों का संचालन किया जा रहा है।
- **खुला आश्रय** – 06–18 आयु वर्ग के घर से भागे हुए, कचरा बीनने, फुटपाथी, गुमशुदा बालकों/बालिकाओं को अल्पावधि तक रखने के लिए कुल 32 खुला आश्रय का संचालन किया जा रहा है।

6. **विशेष किशोर पुलिस इकाई (SJPU)** : अधिनियम की धारा 107 के अन्तर्गत जिला स्तर पर विशेष किशोर पुलिस इकाई का गठन किया गया है। राज्य में कुल 42 विशेष किशोर पुलिस इकाई स्थापित की गई है। राज्य के प्रत्येक पुलिस थाने स्तर पर 01 उप पुलिस निरीक्षक/सहायक पुलिस निरीक्षक स्तर के अधिकारी को बाल कल्याण पुलिस अधिकारी नामित किया हुआ है। राजस्थान पुलिस अकादमी द्वारा बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों को बाल संरक्षण मुद्दों पर प्रशिक्षित किया जाता है।

7. **समेकित बाल संरक्षण योजना (आई.सी.पी.एस.)** : भारत सरकार द्वारा 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत बाल संरक्षण हेतु व्यापक ढांचा तैयार कर बच्चों हेतु सुदृढ़ संरक्षित परिवेश तैयार के लिए राष्ट्रीय स्तर पर समेकित बाल संरक्षण योजना (आई.सी.पी.एस.) लागू की गई है।

- राज्य में योजना का क्रियान्वयन करने के लिए भारत सरकार व राज्य सरकार के मध्य दिनांक 06.01.2010 को अनुबंध पत्र निष्पादित किया गया है। योजनान्तर्गत सामान्यतः 60 प्रतिशत केन्द्रीय अंश तथा 40 प्रतिशत राज्य अंश के रूप में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। आई.सी.पी.एस. की संशोधित गाइड लाईन वर्ष 2014 में लागू की गयी है।

8. **चाईल्ड लाईन (1098)** : महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सहयोग से चाइल्ड लाईन इण्डिया फाउण्डेशन के निगरानी में स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से वर्तमान में यह योजना राज्य के 26 जिलों में चाइल्ड लाईन (जयपुर, अलवर, अजमेर, बाडमेर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, बीकानेर, भरतपुर, डूंगरपुर, कोटा, झालावाड़, जोधपुर, जैसलमेर, पाली, उदयपुर, सवाई माधोपुर, चुरू, सीकर, टोंक, श्रीगंगानगर, जालौर, झुंझुनू, नागौर, धौलपुर, चित्तौडगढ़ एवं राजसमन्द) में संचालित है। शेष 07 जिलों (हनुमानगढ़, करौली, दौसा, प्रतापगढ़, सिरोही, बूंदी एवं बारां) में चाइल्ड लाईन सेवा के विस्तार का प्रस्ताव भारत सरकार के स्तर पर विचाराधीन है।

9. **विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण एजेन्सी (Specialized Adoption Agency)** : राज्य में 0–18 आयु वर्ग के बच्चों के दत्तक ग्रहण हेतु प्रत्येक जिले में स्थित राजकीय किशोर/ बाल गृह को ही राजकीय विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण एजेंसी

घोषित किया हुआ है। राज्य के प्रत्येक जिले में 33 राजकीय दत्तक ग्रहण एजेन्सी संचालित है। उक्त के अतिरिक्त (जोधपुर एवं कोटा जिले में) 2 गैर राजकीय विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण एजेंसी संचालित हैं। विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण एजेंसी की दत्तक गृह समिति में जिला बाल संरक्षण इकाई के प्रतिनिधि के रूप में जिलाधिकारी, गृह का अधीक्षक एवं विजिटिंग चिकित्सक सदस्य है।

अनाथ, परित्यक्त एवं समर्पित बच्चों का दत्तक ग्रहण किशोर न्याय अधिनियम, 2015 एवं दत्तक ग्रहण विनियम, 2017 के अनुसार संपादित किया जा रहा है। विगत 03 वर्ष में कुल 447 बच्चों को दत्तक ग्रहण में दिया गया है।

10. **उपखण्ड एवं ग्राम पंचायत बाल संरक्षण समिति :** विभाग के आदेश क्रमांक 3072 एवं 2193 दिनांक 18.04.2017 द्वारा राज्य में उपखण्ड एवं ग्राम पंचायत स्तर पर बाल संरक्षण समितियों का गठन हेतु आदेश जारी किए हुए है।

11. **लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो), 2012 का क्रियान्वयन :** 0–18 वर्ष के बच्चों के विरूद्ध विभिन्न प्रकार की लैंगिक हिंसा/ हमला, लैंगिक उत्पीड़न और अश्लील साहित्य/ प्रयोजनों में बच्चों के उपयोग से रोकथाम के लिए ''लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012'' को 14 नवम्बर, 2012 से पूरे देश में लागू किया गया हैं। इस अधिनियम के तहत आने वाले प्रकरणों के सुनवाई एवं निस्तारण के लिए जिले में समर्पित रूप से, कुल 56 विशेष न्यायालय स्थापित किये गये है। इन न्यायालय राज्य सरकार द्वारा विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किये गये है।

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 39 के तहत् राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2013 में विशेषज्ञों एवं पेशेवरों के लिए दिशा–निर्देश अधिसूचित किये गये हे। पीड़ित बच्चे को अनुसंधान, विचारण (सुनवाई) से पहले और सुनवाई के दौरान हर स्तर पर सहायता के लिए समर्थन व्यक्ति (सपोर्ट पर्सन) की सेवाएं उपलब्ध कराये जाने के संबंध में बाल अधिकारिता विभाग, द्वारा समर्थन व्यक्ति की नियुक्ति एवं सेवाओं के संबंध में विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किये गये है।

12. राजस्थान पालन – पोषण (फोस्टर केयर) नियम, 2014 : किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2000 की धारा 42 एवं राजस्थान किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम, 2011 के नियम 34 एवं 35 के तहत पारिवारिक देखभाल उपलब्ध कराने के लिए पालन–पोषण देखभाल (फोस्टर–केयर) कार्यक्रम संचालित किया जाना है। समेकित बाल संरक्षण योजना के तहत भी पालन–पोषण देखभाल (फोस्टर केयर) को लागू करने के संबंध में आवश्यक वित्तीय प्रावधान उपलब्ध कराए गए है।

राज्य में पालन–पोषण देखभाल (फोस्टर केयर) नियम के तहत् उपेक्षित बच्चे जिन्हें किन्हीं कारणों से दत्तक ग्रहण (गोद) में नहीं दिया जा सकता है अथवा ऐसे बच्चे जो लम्बे समय से विभिन्न श्रेणी के गृहों में आवासरत हैं, की परिवार की आवश्यकताओं, स्नेह, देखभाल, स्वास्थ्य एवं भावनात्मक अपनत्व की पूर्ति एवं उनके सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए संस्थागत देखभाल के स्थान पर परिवार के माध्यम से सुनिश्चित करना है। राजस्थान पालन–पोषण (फोस्टर केयर) नियम, 2014 के तहत अब तक 35 बच्चों को पालन–पोषण देखभाल (फोस्टर केयर) से जोड़ा गया है। नवीन किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के परिपेक्ष्य में नवीन राजस्थान पालन–पोषण (फोस्टर केयर) नियम, 2019 लागू किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

13. प्रोत्साहन योजना : राज्य सरकार द्वारा किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के अंतर्गत विधि से संघर्षरत किशोर तथा देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के लिये स्थापित किये गये विभिन्न श्रेणी के गृहों का प्रभावी संचालन एवं समेकित बाल संरक्षण योजना के क्रियान्वयन में स्वयंसेवी संस्थाओं एवं विभिन्न एजेन्सियों की सहभागिता, बाल संरक्षण में नवचार एवं इनमें सामुदायिक सभागिता को बढ़ावा देने के लिए माह जून, 2015 से 'प्रोत्साहन योजना' लागू की गई है।

वर्तमान में 'प्रोत्साहन योजना' एवं भारत सरकार द्वारा लागू "Adopt a Home" योजना के अन्तर्गत राजकीय बालिका एवं शिशु गृह, जयपुर एवं राजकीय

बालिका एवं शिशु गृह, अजमेर और यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया के सोशल फाउण्डेशन ट्रस्ट एवं बाल अधिकारिता विभाग के मध्य में 17.00–17.00 लाख रूपये की सहयोग राशि हेतु अनुबंध (MOU) किया गया है। प्रोत्साहन योजनान्तर्गत मस्त मण्डल, बीकानेर के सहयोग से 60.00 लाख की लागत से मॉडल शिशु गृह एवं भीलवाड़ा में हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड के 18.00 लाख सहयोग से उन्नयन कार्य कराया गया। इसी प्रकार उदयपुर में राजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह में डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउण्डेशन ट्रस्ट से 70.00 लाख रूपये एवं हनुमानगढ़ जिले में शिशु गृह निर्माण हेतु 27.00 लाख रूपये की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

14. **राजीव गांधी राष्ट्रीय शिशु पालना गृह योजना (Rajiv Gandhi National Creche Scheme)** : पिछले कई वर्षो में कामकाजी मातओं की संख्या में वृद्धि रही है। कामकाजी माताओं के समक्ष शिशुओं के उचित परिवेश में देखभाल की समस्या उत्पन्न होती है। इस संबंध में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा राजीव गांधी राष्ट्रीय शिशु पालना गृह योजना (Rajiv Gandhi National Creche Scheme) आरम्भ की गई।

इस योजना में 06 माह की आयु से लेकर 06 वर्ष तक की आयु के बच्चों की देखरेख की व्यवस्था की जाती है। प्रत्येक यूनिट में 25 बच्चों को रखा जाता है। वर्तमान में राजीव गांधी राष्ट्रीय शिशु पालना गृह योजना के अन्तर्गत संचालित शिशु गृह विभिन्न गैर सरकारी संगठनों द्वारा संचालित किये जा रहे है।

प्रत्येक यूनिट में वित्तीय सहयोग के लिये 90 प्रतिशत अनुदान सरकार के द्वारा एवं 10 प्रतिशत अंशदान स्वयं संस्था के द्वारा वहन किया जाता है। राजस्थान में राजस्थान राज्य समाज कल्याण बोर्ड, जयपुर (Rajasthan State Social Welfare Board) के माध्यम से यह योजना क्रियान्वित की जाती है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा राजीव गांधी राष्ट्रीय शिशु पालना गृह योजना (Rajiv Gandhi National Creche Scheme-RGNCS) को महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर से निदेशालय, बाल अधिकारिता विभाग, जयपुर को हस्तान्तरित किया गया है। राज्य में मार्च, 2019 तक कुल 252 शिशु पालना गृह (क्रैच) संचालित है।

दूरभाष सम्पर्क सूत्र

निदेशालय,
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, जयपुर
0141-2220194

निदेशालय,
बाल अधिकारिता, जयपुर
0141-2399335

निदेशालय,
विशेष योग्यजन, जयपुर
0141-2222249

विभागीय कॉल सेन्टर

1800 180 6127

आपकी सेवा में

प्रातः 8.00 बजे से रात्रि 8.00 बजे तक

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी-3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर (राज.)

दूरभाष : 0141-2226638